'प्राथमिक शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देशभर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत् में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

अकादमिक संपादक

लता पाण्डे

अकादमिक संपादकीय मंडल

इंदु कुमार

रमेश कुमार

नरेश यादव	*मुख्य संपादक (प्रभारी)*
रेखा अग्रवाल	*संपादक*
राजेन्द्र चौहान	*सहायक उत्पादन अधिकारी*

आवरण

अमित श्रीवास्तव

मूल्य एक प्रति – ₹ 65.00 वार्षिक – ₹ 260.00

बेटी का पढ़ना

हरीश चंद्र पाण्डे*

लड़की का पढ़ना लिखना, इक दीपक जलना है।
नए जमाने में तो भैया, शिक्षा गहना है।

आओ आ जाओ बिटिया, स्कूल का कहना है।
सुबह-सुबह मत महुवा बीनो, अक्षर बिनना है।।

स्वर-व्यंजन की नाव चली, इसमें बैठो बिटिया।
है पतवार तुम्हारे हाथों, नापो सागर बिटिया।।

बेटी का पढ़ना लिखना, इक पेड़ लगाना है।
एक नहीं, यह तो पूरे, परिवार का फलना है।।

पांव पखारें लड़की के, रखकर के उपवास यहाँ।
मगर निरक्षर रखी बेटी, ये कैसा उपहार यहाँ।।

गार्गी तुम, लीलावती, सुनीता और कल्पना तुम।
पढ़ लिखकर के दुनिया की हर शै पर छाना तुम।।

*हरीश चंद्र पाण्डे, A/114, गोविंद कॉलोनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष–35 अंक–3 जुलाई 2011

इस अंक में

संवाद 3

लेख

1. विज्ञान की पढ़ाई — सुनील कुमार गौड़ — 5
2. कैसे पढ़ाएँ गणित? — सुधीर श्रीवास्तव — 8
3. षोडश सारम् — भगवती प्रसाद गेहलोत — 13
4. पुतलियाँ पाठ पढ़ाती हैं — ऊषा द्विवेदी — 16
5. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण– एक भावनात्मक दायित्व — अपर्णा व्यास — 20
6. शांति की शिक्षा और कक्षायी अभ्यास — ऊषा शर्मा — 23

शोध

7. भारत में संस्कृत भाषा की राज्यवार स्थिति का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन — लता पाण्डे, रमेश कुमार — 33
8. ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान के प्रति प्राथमिक शिक्षकों का अभिमत–सांख्यिकीय अध्ययन — एन.पी. उनियाल, सुनीता बडोला — 39
9. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन — अरुण कुमार मिश्र — 47

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं– (i) अनुसंधान और विकास, (ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार। यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है। उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है– विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

10. पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरणीय मूल्यों एवं दायित्त्वों का अध्ययन — निधि श्रीवास्तव — 54

पठनीय

11. *असफल स्कूल* — शारदा कुमारी — 60

बालमन कुछ कहता है

– समय पालन — आशीष कुमार सिंह — 68

– चमत्कारी पत्थर — कृतिका पराशर — 69

विशेष

– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 — 70

संवाद

जुलाई आते ही नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ बच्चे विद्यालय में कदम रखते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद उनके पास अपने संगी-साथियों के साथ बाँटने के लिए बहुत सारे अनुभव और बातें होती हैं। ग्रीष्मावकाश के दौरान कई बच्चे किसी कोर्स में प्रवेश लेकर कुछ नया सीखते हैं, तो कई बच्चे अपने नाते-रिश्तेदारों से मिलने गाँव-शहर जाते हैं। कुछ बच्चे अपने माता-पिता के साथ किसी पर्वतीय स्थल की सैर पर चले जाते हैं तो कुछ बच्चे किताबों की दुनिया में रम जाते हैं। बच्चे चाहे जो भी करें, इस दौरान कुछ-न-कुछ सीखते ज़रूर हैं। और इन्हीं सीखने के अनुभवों को उन्हें विद्यालय में कुछ नया सिखाने का आधार बनाया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह कानून बच्चों को खेल-खेल में रोचक विधियों से सिखाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो करता ही है, बच्चों के लिए भय और तनाव से मुक्त शिक्षा की माँग भी करता है। इसलिए शिक्षक साथियों से यही अपेक्षा है कि उमंग और उत्साह के साथ विद्यालय में कदम रखने वाले इन नन्हे बच्चों के सीखने के मार्गदर्शक तथा स्नेहिल साथी बनें। उनसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें इस तरह सिखाएँ कि उनकी अंतर्निहित क्षमताएँ उभर कर सामने आएँ, उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनमें पहले से ही निहित सीखने की ललक और भी प्रबल हो। यह तभी संभव है जब उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना से मुक्त रखा जाए। उनमें यह विश्वास जगा दिया जाए कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ/करती हूँ। शिक्षक का व्यवहार तथा आचरण बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। वही बच्चों का आदर्श होता है। बच्चों में मूल्यों के विकास लिए उपदेशात्मक शैली में कही गई बड़ी-बड़ी बातें नहीं बल्कि शिक्षक का स्वयं का आचरण बड़ी भूमिका निभा सकता है।

जुलाई-अक्तूबर 2010 के अंक में शिक्षा का अधिकार कानून के संबंध में जानकारी दी गई थी। प्रस्तुत अंक में विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार कानून दिया जा रहा है ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी इस कानून से अवगत होकर तदनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

अकादमिक संपादक

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका के बारे में

साथियो,

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित ऐसे लेख प्रकाशित किए जाते हैं जो एक शिक्षक के लिए उपयोगी हों। इस पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण सरोकार हैं–

- शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की जानकारी एवं विवेचन
- समसामयिक शैक्षिक शोध एवं अध्ययनों का विवरण
- समसामयिक शैक्षिक चिंतन
- शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के अनुभव
- शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए व्यावहारिक बाल मनोविज्ञान
- पाठशालाओं एवं शिक्षा केंद्रों की समीक्षा
- शिक्षा संबंधी खेल एवं उनकी उपयोगिता
- विभिन्न शिक्षण विधियाँ
- क्रियात्मक शोध और नवाचार
- शिक्षकों के लिए पठनीय पुस्तक के बारे में जानकारी आदि।

कैसे भेजें रचनाएँ

उपरोक्त सरोकारों पर आधारित लेख, संस्मरण, कविताएँ आदि आमंत्रित हैं। कृपया ध्यान रखें कि लेख सरल भाषा में तथा रोचक हों। शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ साहित्य की सूची अवश्य दें। लेखों के प्रकाशन के उपरांत समुचित मानदेय की व्यवस्था है। लेखों की त्रुटिरहित टंकित प्रति अगर सी.डी. में भेज सकें तो अच्छा रहेगा। लेख ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। अपने लेख निम्न पते पर भेजें–

अकादमिक संपादक
प्राथमिक शिक्षक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एन.सी.ई.आर.टी.
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110016
ई. मेल-deencert @ yahoo.co.in

कैसे बनें सदस्य

इस पत्रिका के सुचारु रूप से प्रकाशन, प्रचार एवं प्रसार के लिए पाठकों तथा लेखकों का सहयोग अनिवार्य है। इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि इस पत्रिका के स्थायी सदस्य के रूप में अपने विद्यालय, संस्थान अथवा स्वयं को पंजीकृत करवाने का कष्ट करें। इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क केवल ₹ 260.00 है और प्रति कॉपी का मूल्य मात्र ₹ 65.00 है। आशा है आप इस दिशा में शीघ्र ही निर्णय करके विद्यालय, संस्थान अथवा निजी वार्षिक सदस्यता के लिए कार्यवाही करेंगे। वार्षिक सदस्यता शुल्क-पत्र के लिए अपना पत्र स्वनामांकित लिफ़ाफ़े सहित **बिज़नेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग (एन.सी.ई.आर.टी.) श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-16** को भेज सकते हैं।

विज्ञान की पढ़ाई

सुनील कुमार गौड़*

विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने, उनके साथ घुल-मिलकर उनकी व्यक्तिगत और सीखने संबंधी कठिनाईयों का समाधान करने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनकी अंतर्निहित क्षमता उभरने लगती है और वे आगे बढ़ते जाते हैं। इससे बच्चों में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है तथा कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। बच्चों के परिवेश और व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर पाठ्यक्रम के संबोधों का शिक्षण कराया जाए तो सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इससे बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे ज्ञान का सृजन होता है। इसके लिए परिवेश के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना समीचीन रहता है। इसे शिक्षण सूत्र के रूप में अपनाना चाहिए। प्रस्तुत अनुभव इसी समझ को रेखांकित करता है।

अभी एक माह पूर्व ही उसने अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय से पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण करके इंटर कॉलेज की छठवीं कक्षा में प्रवेश लिया था। वह ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी थी और प्रकृति से उसका करीबी रिश्ता रहा था। ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में वह नई-नई आई थी तथा विद्यालय के छात्रावास में रह रही थी। घर-से दूर अकेलेपन के कारण वह छात्रावास के कठोर नियमों में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी।

एक दिन की बात है, विज्ञान की कक्षा चल रही थी। सभी बच्चे अपने-अपने समूह में आपस में बातचीत करके कक्षा कार्य करने में मशगूल थे। गृह कार्य की कॉपियाँ जाँची जा रही थीं। अचानक शिक्षिका की नज़र एक साधारण-सी भोली-भाली छात्रा पर पड़ी। वह किसी से बातें भी नहीं कर रही थी। चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठी अपना कक्षा कार्य कर रही थी। शिक्षिका ने छात्रा की ओर ममतामयी नज़रों से देखा और उसके पास जाकर बैठ गईं। वह

* *प्रवक्ता*, विज्ञान शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)

छात्रा से बातचीत के द्वारा दोस्ती करने का प्रयास कर रही थीं। परंतु छात्रा का स्वभाव इतना संकोची था कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसी बीच शिक्षिका ने कहा, ''विज्ञान की कॉपी दिखाओ।'' अब तो छात्रा और भी सहम गई। कापी देखी गई, अधिकतर काम गलत था। उन्होंने छात्रा को फिर बड़े स्नेह से समझाया और दोस्ती बढ़ाई। ऐसा करने से उन्हें अब कुछ बात बनती-सी नज़र आने लगी। दोस्ती में भी बहुत थोड़ी-सी बढ़त हुई। शिक्षिका ने महसूस किया कि छात्रा विज्ञान में कमज़ोर तो है परंतु व्यावहारिक जीवन के विज्ञान का उसे अच्छा ज्ञान है। कौन-सा बीज कब बोया जाता है, वर्षा कब होती है, कैसी जलवायु में फ़सल अच्छी होती है, हवा कब तेज़ चलती है, जल में कौन-कौन से जीव जंतु रहते हैं, जीवों के घनिष्ठ संबंधों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि बातें शिक्षिका ने उससे बातों-बातों में ही पता लगा ली थीं।

शिक्षिका ने कक्षा के अन्य सभी छात्रों से उसकी दोस्ती कराई। अब छात्रा अपना कक्षा कार्य ठीक करने में लग गई। समूह के बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। इस प्रकार विज्ञान की पढ़ाई का कार्य करते-करते दिन बीतने लगे। स्कूल और पढ़ाई में भी उसका मन लगने लगा। उसकी शिक्षिका से भी दोस्ती हो गई तथा कक्षा के अन्य बच्चों से भी।

एक दिन शाम को उसने अपने साथियों के साथ रोज़ की भाँति मैस में भोजन किया, रात्रि को पढ़ाई-लिखाई का कार्य पूरा किया और निश्चिंत होकर बिस्तर में लेट गई। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि विज्ञान की जो बातें शिक्षिका द्वारा कक्षा में बताई जाती हैं, उन सभी बातों की जानकारी उसे अपने गाँव के जीवन में थी और वह उनसे संबंधित कार्य भी करती थी।

अब उसके मस्तिष्क में यह विचार चलने लगा कि वह कक्षा में विज्ञान की पढ़ाई को अपने गाँव के अनुभव से जोड़कर करेगी। उसे महसूस होने लगा कि विज्ञान में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसका उसने अपने गाँव के जीवन में अनुभव न किया हो। वह विज्ञान के प्रत्येक पाठ को अपने पूर्व अनुभव से जोड़कर देखती-समझती और पढ़ती जाती। शिक्षिका को उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस होने लगा। अब वह विज्ञान की पढ़ाई में होशियार होने लगी। अपने समूह के और बच्चों को भी बताने-समझाने लगी। शिक्षिका भी शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा में उसके अनुभवों को स्थान देने लगी। छात्रा बच्चों को अपने पूर्व अनुभव कहानी के रूप में सुनाती, बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सुनते और बात आगे बढ़ जाती, विज्ञान की पढ़ाई की ओर। नई-नई जिज्ञासाएँ आतीं, बात-से-बात निकलती, कहानी आगे बढ़ती जाती परंतु जब कभी कहीं अटक जाती, तो बच्चों के मन-मस्तिष्क में तरह-तरह की कल्पनाएँ आतीं, कल्पनाओं पर चर्चा-परिचर्चा का दौर चलता और पुष्टि के लिए इधर-उधर से संसाधन जुटाकर सरल प्रयोग करने पड़ते फिर कोई-न-कोई निष्कर्ष निकलता। कभी-कभी तो निष्कर्षों को जाँचने के लिए भी प्रयोग करने पड़ते, इस प्रकार चलने लगी विज्ञान

की पढ़ाई। इस पढ़ाई में तो बहुत आनंद आने लगा। अब तो शिक्षिका भी बच्चों की मदद करतीं, बच्चे भी एक-दूसरे की मदद करके अपनी पढ़ाई के कार्य को आगे, और आगे बढ़ाते जाते।

एक दिन विज्ञान की कक्षा में 'औषधीय पौधों के उपयोग' शीर्षक पर बातचीत चल रही थी। सभी बच्चे बातचीत में पूर्ण दिलचस्पी ले रहे थे तथा अपने-अपने अनुभव सुना रहे थे। कभी-कभी वे आवश्यकता पड़ने पर मुख्य बात को अपनी कॉपी में नोट भी करते जा रहे थे। जब रोगों के उपचार में औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के उपयोग की बात आई तो छात्रा ने कहा, ''मैडम जी हमारे गाँव में एक वैद्य जी हैं जिन्हें औषधीय पौधों का बहुत अच्छा ज्ञान है, यदि उन्हें कक्षा में बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा?'' छात्रा की बात तुरंत मान ली गई, यह तो उनके मन की बात हो गई। सभी बच्चों ने भी छात्रा का समर्थन किया। शिक्षिका और एक छात्रा वैद्य जी को बुलाने गाँव गए। वैद्य जी से संपर्क किया गया तो वे इसके लिए तुरन्त राजी हो गए। अगले दिन वैद्य जी विद्यालय आए। उन्हें बच्चों के बीच अपने ज्ञान को बाँटने का मौका मिला था। संबंधित विषय पर बात चली। दो घंटों तक रोचक अनुभव तथा किस्सों का दौर चला। बच्चों ने भी बातचीत का भरपूर आनंद लिया तथा मुख्य बातों को अपनी-अपनी नोटबुक में नोट किया। वह दिन बहुत सुंदर तरीके से बीता। उस दिन की याद आज भी ताज़ी है क्योंकि उस बातचीत ने कक्षा को आनंदमयी जो बना दिया था।

2

कैसे पढ़ाएँ गणित?

सुधीर श्रीवास्तव*

गणित विषय जहाँ बहुत से बच्चों को कठिन लगता है वहीं कभी-कभी शिक्षक के लिए भी समस्या बन जाता है। शिक्षक की समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को गणित किस प्रकार सिखाएँ। नित-प्रतिदिन के जीवन से जोड़कर कोई भी विषय सिखाया जाए तो बच्चों के लिए सीखना सरल हो जाता है। यही बात गणित विषय पर भी लागू होती है। कुछ ऐसी ही सीख यहाँ दिए गए एक पत्र में दी गई है जो एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षक मित्र को लिखा गया है।

प्रिय नीलेश,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। कल से लेकर अभी तक उसे कई बार पढ़ चुका हूँ। तुम्हारी बातों से बड़ी खीज और निराशा झलक रही है। विशेष रूप से वहाँ, जहाँ तुम लिखते हो ''...या तो ये बच्चे गणित नहीं सीख सकते या मुझे ही पढ़ाना नहीं आता ...।'' मुझे चिंता भी हुई और खुशी भी। चिंता इस बात की कि तुम्हारे जैसा परिश्रमी व्यक्ति भी ऐसा कह सकता है, खुशी इस बात पर कि तुम बच्चों के नहीं सीखने से परेशान होते हो। काश! सभी शिक्षक तुम्हारी तरह, बच्चों की फ़िक्र करने वाले होते।

तुम्हारी यही बात मुझे बाध्य कर रही है कि तुमसे इस पर बातें करूँ। पहले तुमसे बच्चों की कठिनाईयों पर बात करूँगा, फिर शिक्षक के रूप में तुम्हारी मुश्किलों पर। मैं नहीं जानता कि मैं जैसा सोचता हूँ या करता हूँ उससे तुम्हें मदद मिलेगी या नहीं। कारण यह है कि हर बच्चे की अपनी समस्या होती है और कोई एक तरह का हल दूसरी जगह भी कारगर हो ऐसा ज़रूरी नहीं। फिर भी मुझे लगता है, कुछ बातें ऐसी ज़रूरी हैं जो सीखने की बेहतर परिस्थितियाँ बनाती हैं।

एक बच्ची गणित सीखते समय कैसी दिक्कतें महसूस करती है, कैसे उसे हल करती है? इस पर सोचते हुए मुझे कुछ याद आ रहा है। उसे वैसा ही लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम अपने ढंग से उसका विश्लेषण कर सको।

एक शाम जब ऑफ़िस से घर लौटा तो देखा मेरी छोटी बेटी सत्या अपनी माँ से उलझ रही थी। गुस्से से लगभग चीख रही थी–'मैं

* *प्रारंभ,* शैक्षिक संवाद पत्रिका, अक्तूबर-दिसंबर 2010 से साभार

नहीं पढ़ना चाहती गणित। सबसे गंदा विषय। कौन लाया इसको दुनिया में? मिलेगा तो बहुत मारूँगी, चल मेरी क्लास में बैठ के देख' उसकी माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आँखों में एक सवाल था–''क्या करूँ?'' मैंने इशारे से ही कहा ''छोड़ दो।''

थोड़ी देर बाद मैं सत्या के पास जाकर बैठा। उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, ''क्या बात है बेटा?''

उसने मेरी ओर देखकर कहा, ''पापा, गणित अच्छा विषय नहीं है न?'' मुझे जवाब नहीं सूझा। थोड़ा ठहरकर मैंने कहा, ''हाँ बेटा कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है।'' वह आश्वस्त हुई उसके विचार को स्वीकृति मिल गई थी। मैंने पूछा'

''आज मम्मी से क्यों झगड़ रही थीं?''

''मम्मी होमवर्क पूरा करने को कह रही थीं।''

''होमवर्क मुश्किल था क्या?''

''मुश्किल नहीं था, वैसे तो मैं कर लेता हूँ, पर आज स्कूल में डाँट पड़ी इसलिए गुस्सा आ रहा था''

''अच्छा तो ये बात है। क्या हुआ था स्कूल में?''

''पापा, आज दो तरह के सवाल मिले थे। एक, मीटर को सेंटीमीटर में और दूसरा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। टीचर बोली कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए सौ का भाग दो।''

''तुम तो गुणा और भाग करना जानती हो इसमें क्या दिक्कत है?''

''दिक्कत है पापा। मैं कई बार भूल जाती हूँ, कहाँ गुणा करना है और कहाँ भाग देना? आखिरी सवाल में तो किलोमीटर भी आ गया है।''

''ओह! ... तुमने अपनी प्राब्लम टीचर को बताई?''

''हाँ पापा, मैंने उनसे पूछा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलते समय सौ का गुणा क्यों करते हैं?''

''वाह! तुम्हारा सवाल तो बढ़िया था क्या जवाब दिया टीचर ने?''

''टीचर ज़ोर से बोलीं–''जितना मैं कह रही हूँ उतना करो।''

मुझे कुछ सूझा नहीं क्या बोलूँ। फिर मुझे लगा, इस समय टीचर की इस प्रतिक्रिया पर सोचने से अच्छा है बच्ची के सवाल पर विचार किया जाए।

जब मैंने इस सवाल पर गौर किया तो मुझे लगा कि और भी कई सवाल होंगे जिन पर सोचना होगा। जैसे बच्चे की वास्तविक समस्या क्या है? क्या वह मीटर, सेंटीमीटर के आपसी संबंध को समझता है?

क्या बच्चे मीटर और सेंटीमीटर के परिणाम में भेद कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो अभी भी कठिनाई होती है जब मैं किसी बिल्डिंग की ऊँचाई या जमीन की लंबाई-चौड़ाई का अनुमान लगाता हूँ या फिर मीटर या फुट में दिए गए परिणाम को आपस में बदलता हूँ। न जाने ऐसी और कितनी बातें होंगी जो मेरी सोच से परे हैं।

यह सब सोचते हुए मैंने तय किया कि पहले यह ज्ञात किया जाए कि बच्ची नाप-तोल

के संबंध में मोटे तौर पर क्या-क्या जानती है। फिर उसे मीटर स्केल या टेप दिखाकर मीटर-सेंटीमीटर के बारे में बात की जाए। इतनी बातचीत से तो समझ बनेगी और उसके आधार पर आगे सोचा जाएगा।

खाना खाते समय मैंने पूछा, ''सत्या मेरे लिए रोटी लाओगी?''

''हाँ पापा।''

''दो किलो ले आओ बेटा।'' मैंने सहज बनते हुए कहा।

''दो किलो?'' उसने मेरी ओर आश्चर्य से देखा फिर कहा, ''पापा किलो में तो सब्ज़ी, दाल, शक्कर लाते हैं।''

''अच्छा ऐसा है, तो चलो दो लीटर ले आओ। आज इतना ही खा लूँ।''

''क्या मज़ाक है पापा। रोटी पेट्रोल है क्या जो लीटर में नापेंगे?''

''अच्छा, तो जितनी तुम्हारी मर्ज़ी उतना ही लो आओ।''

''बड़ी जल्दी हार मान गए। पापा मैं तो समझी थी कि अभी आप मीटर और घंटे में भी रोटी मँगाएंगे।''

मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा ''बेटा, मैं जानना चाहता था नापने की कौन-कौन सी इकाईयों को तुम जानती हो।''

ये तो मैं आपके सवाल पूछने के ढंग से समझ गई थी। पापा मैं जानती हूँ कि मीटर और सेंटीमीटर से लंबाई नापते हैं। मैं तो इतना जानना चाहती थी कि यहाँ गुणा-भाग करने के लिए सौ ही क्यों लेते हैं?''

खाना खाकर जब उठा तो बात फिर शुरू हुई। मीटर टेप लेकर हम दोनों ने 'एक मीटर' लंबाई पर गौर किया। फिर यह देखा कि कमरे की कौन-कौन सी चीज़ें एक मीटर से ज़्यादा लंबी या छोटी हैं। अपने अनुमान को जाँचा भी, अनुमान के सही होने का मज़ा भी लिया। एक और गतिविधि की, दीवार और फ़र्श पर छोटे-छोटे निशान बनाए, फिर अनुमान से दूसरे निशान इस तरह बनाए कि वे पहले से एक मीटर दूरी पर हों। इसे जाँचते समय बड़ा रोमांच हुआ। हम एक मीटर के बहुत नज़दीक अनुमान लगा रहे थे।

फ़र्श पर एक मीटर लंबाई का अनुमान लगाते समय यह पता चला कि फ़र्श पर लगे हुए चार टाइलों की लंबाई कैसे बताई जाए इस पर बात करते हुए सेंटीमीटर की नाप को पहचाना। हमने यह देखा कि सत्या की तर्ज़नी का अगला हिस्सा मीटर टेप पर बने किसी भी सेंटीमीटर के हिस्से को ठीक-ठीक ढक लेता है।

अब यह पता चल गया था कि एक मीटर कहने से चार टाइलों की लंबाई के बराबर लंबाई का अनुमान होता है, जबकि एक सेंटीमीटर कहने से उँगली की एक पोर के फ़ैलाने का पता चलता है। अब हमने फ़र्श पर लगी टाइल को ऊँगलियों से नापना शुरू किया। यह नाप एक जैसा नहीं आ रहा। हमने तय किया कि इसे टेप से नापा जाए। नापने पर पता चला कि एक टाइल का एक किनारा पचीस सेंटीमीटर का है। दूसरी तीसरी और चौथी सभी टाइल के किनारे एक बराबर निकले।

मैंने बच्ची से पूछा कि दो टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? उसने कहा-पच्चीस और पच्चीस यानी पचास सेंटीमीटर...। फिर उसने कहा–''पापा, मुझे बताने दीजिए... चार टाइल्स की लंबाई माने चार बार पच्चीस... यानी सौ सेंटीमीटर और चार टाइल्स की लंबाई एक मीटर भी है।''

''बिलकुल सही, चार टाइल्स की लंबाई को हम दो तरह से बता सकते हैं–चार टाइल्स की लंबाई एक मीटर है या चार टाइल्स की लंबाई सौ सेंटीमीटर है।'' ''अब समझ गई पापा, जितने मीटर उतने सौ सेंटीमीटर। पाँच मीटर यानी पाँच बार सौ सेंटीमीटर यानी पाँच सौ सेंटीमीटर। थैंक यू पापा।'' मैंने उसके गालों को थपथपाकर पूछा, ''कैसा लगा?'' वह बोली ''मज़ा आ गया।''

रात के साढ़े ग्यारह बज गए थे। मैंने पूछा, ''अब बस करें?'' बच्ची ने कहा–''एक बात और बता दीजिए। सेंटीमीटर वाले भाग के अंदर जो छोटे-छोटे निशान हैं वो क्यों हैं?'' ''बेटा अब कल बात करेंगे...।'' ''नहीं, अभी बताइए उसका भी कोई नाम है क्या?''

''बस दो बातें बताऊँगा। वे मिलीमीटर के निशान हैं और जो चीज़े एक सेंटीमीटर से भी कम लंबाई, चौड़ाई या मोटाई की हों उन्हें नापने में इसकी मदद लेते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछे कि पेंसिल या झाड़ू की सींक कितनी मोटी है तो तुम इसे मिलीमीटर में बता सकती हो।'' मैंने देखा उसका ध्यान कहीं और था। मेरी पूरी बात शायद उसने नहीं सुनी। मैंने पूछा ''क्या सोचने लगी?''

उसने कहा ''पापा यदि चींटियों के गाँव में सड़क बनानी पड़ेगी तो वो सड़क कम से कम तीन मिलीमीटर चौड़ी रखनी पड़ेगी। एक मिलीमीटर जाने वाली चींटियों के लिए, एक मिलीमीटर आने वाली चींटियों के लिए और एक मिलीमीटर की खाली जगह जिससे वो टकराएँ नहीं...।'' उसकी इस कल्पना पर मैं चुप हो गया। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। उस रात मैं यही सोचता रहा कि कैसे दिमाग में नए विचार, नयी युक्तियाँ आती हैं। जब हम किसी काम में डूब जाते हैं तब शायद ऐसे मौके बनते हैं। एक बात और जो मुझे आनंदित कर रही है वह यह कि बच्चे भी नया सोचने में बड़ों से पीछे नहीं हैं।

दूसरे दिन शाम को जब हम सब साथ बैठे थे तभी वहाँ सत्या पहुँची। उसके एक हाथ में कैंची और दूसरे हाथ में प्लास्टिक की दो डोरियाँ थीं एक बड़ी, एक छोटी। 'उसे देखते ही उसकी माँ ने पूछा'' अरे! इसे क्यों काट डाला?'' सत्या ने बड़ी शांति से कहा ''इस टुकड़े को दुकान वाली आंटी को वापस करना है। आपने एक मीटर लाने को कहा था। आंटी ने चार सेंटीमीटर ज़्यादा दे दिया है।''

नीलेश की बातें खत्म नहीं हो रही हैं, गोया, चिट्ठी न हुई किताब हो गई। कई बैठकें हो गईं, बातें पूरी नहीं हुई। टुकड़े-टुकड़े में लिखी ये चिट्ठी टुकड़ों में ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना इतनी बातों में कोई एक तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मुझे तुम्हारी कोशिशों पर यकीन है। यकीन है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार करने

लगेंगे। इस यकीन को सच में बदलने के लिए थोड़ी-सी बातें और...।

अब तक जो लिखा वह बच्चों से जुड़ा हुआ था। जब हम बच्चों की क्षमताओं और कमज़ोरियों को पहचानने लगते हैं, जब उन्हें अच्छी लगने और न लगने वाली अनुभूतियों को खुद भी महसूस करने लगते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा शिक्षक होने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता इसके बाद ज़रूरत होती है, अपनी जानकारी और पढ़ाने के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने की।

अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने और जो कुछ हम जानते हैं उसे ताजा करते रहने की हमारी आदत बहुत बढ़िया स्तर की नहीं है। पिछले सप्ताह एक शिक्षक साथी से भेंट हुई। चार माह पहले वे प्राथमिक पाठशाला से उच्च प्राथमिक पाठशाला में पदांकित हुए हैं। यहाँ गणित पढ़ाने के नाम से वे बहुत परेशान दिखे। उनका कहना था ''मैं किससे सीखूँ?'' जब मैंने उनसे पूछा कि आपने गणित की पुस्तकों को पढ़ा क्या? तो उनका जवाब ''नहीं'' था। मैंने उनसे फिर पूछा, ''प्राथमिक पाठशाला में गणित पढ़ाने के लिए गणित की किताब पढ़ते थे?'' तो उन्होंने कहा ''कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी।'' इसके पहले भी बहुत से लोगों में ऐसी सोच देखने को मिली।

मुझे लगा कि किसी स्तर पर हम सोचते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है। उसमें कुछ जोड़ने के लिए संदर्भ ढूँढ़ने, कुछ पढ़ने या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ़ थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदल जाने पर हमारे हाथ-पाँव फूल जाते हैं और तुरंत हम यह सोच लेते हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों ओर चरम पर रहते हैं। बीच में रहने की आदत ही नहीं बनी। किताबों के संसार को कभी देखा ही नहीं और इसलिए उसकी ताकत का भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया। नीलेश, मैं समझता हूँ कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बढ़िया टीचर भी। प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं और बैठकों में भी बहुत कुछ सीखने-जानने को मिलता है किंतु हम अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। यदि मेरी बात ठीक लगे तो गणित की किताबों को धीरे-धीरे एक बार पूरा पढ़ लो यकीन मानो इतनी सारी नई बातें मिलेंगी कि तुम्हें आश्चर्य होगा।

और हाँ। यह विश्वास रखना कि तुम एक अच्छे शिक्षक हो। छोटी-छोटी असफलताएँ तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकतीं, इतना संकेत ज़रूर करती हैं कि रास्ता बदलने की ज़रूरत हैं। तो कुछ-कुछ नया करो अच्छा लगेगा।

पत्र लिखना। तुम्हारे पत्र मुझे अच्छे लगते हैं।

तुम्हारा ही
सुधीर

3

षोडश सारम्

भगवती प्रसाद गेहलोत*

शिक्षण की अनेक विधियों में से एक है–खेल विधि। इसके द्वारा किसी भी विषय को रोचक बनाकर सरलता से विद्यार्थियों के लिए ग्राह्य किया जा सकता है। संस्कृत शिक्षण के दौरान शिक्षकों के समक्ष यह समस्या आती है कि व्याकरण का ज्ञान किस प्रकार से रोचक ढंग से दिया जाए। इसी संबंध में प्रस्तुत है यह लेख–षोडश सारम्।

संस्कृत भाषा के लिए यह धारणा बना दी गई है कि यह भाषा अत्यंत कठिन है। यह केवल कर्मकांड, पूजा-उपासना और पंडितों की भाषा है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। आप थोड़ा रुककर सोचें तो यह महसूस करेंगे कि संस्कृत अन्य भाषाओं को समृद्धि की ओर ले जाने वाली भाषा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता स्थापित करने वाली और अपने सूत्रों के माध्यम से कंप्यूटर के लिए उपयोगी एवं वैज्ञानिक भाषा है। आज आवश्यकता है संस्कृत के प्रति धारणा बदलने एवं इसके सरलतम रूप के उपयोग की। प्रत्यक्ष संस्कृत संभाषण के माध्यम से जो शैक्षणिक कार्य चल रहे हैं, वे तो उपादेय हैं ही, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खेलविधि भी उपयोगी है।

संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए प्रायः खेल गतिविधियों की कमी महसूस की जाती है। संस्कृत भाषा शिक्षण करने वाले संस्कृत विषयाध्यापकों एवं समस्त छात्रों के लिए ''सोलह सार'' पर आधारित एक मनोरंजन पूर्ण खेल विधि यहाँ प्रस्तुत है। वैसे भी छात्र-छात्राएँ विश्रांति या फुरसत के समय चिएँ, चंगपो, सोलह सार के नाम से खेलते ही हैं। ज़रूरत है तो बस इसे शैक्षणिक खेल में बदलने की। बच्चों को इसमें आनंद भी आएगा। बच्चों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह को खेल विधि के आधार पर आप पृथक्-पृथक् धातु रूप, शब्द रूप आदि दे सकते हैं।

सबसे पहले छात्रों को खेल और उनके नियमों के बारे में समझा दिया जाए।

* लेख राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका *पलाश* के अप्रैल-मई 2006 अंक से साभार

छात्रों को आवश्यक सामग्री यथा–इमली के दो बीजों की चार चिपटें, चार कंकड़ गोटी के रूप में अथवा छोटी गोटी के लिए और कोई वस्तु जो चाल चलने के काम आ सके, दें। ड्राँइग शीट (कार्डशीट) अथवा फुलस्केप कोरे कागज़ पर यह खेल बनाकर दे दिया जाए।

खेल के नियम

1. इस खेल में दो, तीन, चार, खिलाड़ी हो सकते हैं।
2. प्रत्येक खिलाड़ी चाल चलने के पूर्व खेल के घर (गृह) में अपनी एक गोटी रखेगा।

षोडश सारम्
लट्लकारे

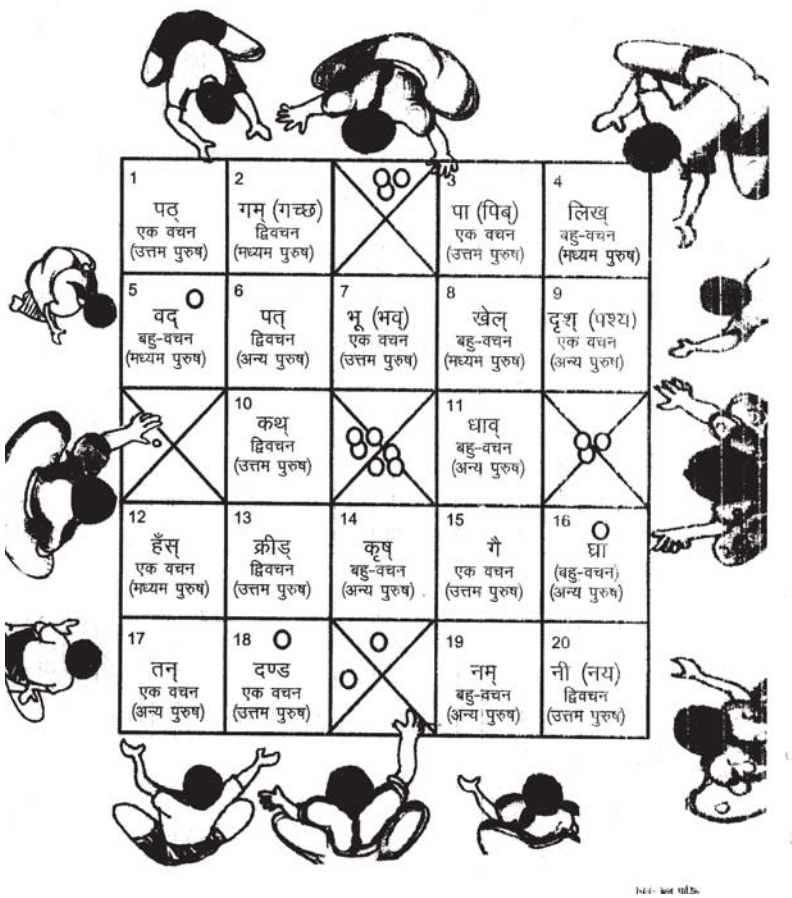

3. इमली के बीजों की चार चिपटों से या अन्य पाँसों अंक वाले से चाल चलेंगे।
4. प्रत्येक खिलाड़ी की चाल चलने के दौरान जितने भी अंक आएँगे, गिनती के अनुसार वह गोटी उस खाने में रखकर, उस खाने में लिखे धातु रूप को बोलेगा।
5. यदि वह धातु रूप बता देता है, तो अगली चाल भी उसी को मिलेगी। अगर वह लगातार सही उत्तर बताता जाए और मध्य के खाने में गोटी सहित पहुँच जाए तो वही जीत जाएगा। इसके बाद तीन या दो खिलाड़ी रह जाएँगे। वे भी खेल चालू रख सकते हैं। जो भी मध्य के खाने में पहुँचेंगे क्रमानुसार द्वितीय, तृतीय क्रम में विजयी रहेंगे। बाद वालों का कार्य अभ्यास माना जा सकता है।
6. यदि चाल चलने वाला खिलाड़ी धातु रूप (उत्तर) न बता पाए, तो वह उत्तर याद करने के बाद ही अपनी गोटी आगे बढ़ाएगा। किंतु अगली चाल उसको नहीं मिलेगी, उसके आगे जिसका क्रम आ रहा हैं, उसे मिलेगी। जो खिलाड़ी बीच (मध्य) के घर में पहले पहुँच जाएगा वह विजयी घोषित किया जाएगा।

विशेष

इस खेल में खानों में लिखे धातु रूप क्रमांकों के अनुसार क्रम से एक उत्तर तालिका खेल नायक के पास रहेगी। यह उत्तर तालिका पृथक् से कार्ड शीट के टुकड़े पर लिखी रहेगी। यदि पृथक् से नायक की व्यवस्था न हो तो कोई भी एक खिलाड़ी उसे अपने पास ओंधी रखेगा ताकि खेलते समय उत्तरों पर नजर न पड़े। आवश्यकता पड़ने पर खिलाड़ी इसका उपयोग करें।

उत्तर-तालिका

1. पठामि	2. गच्छथः
3. पिबामि	4. लिखथ
5. वदथ	6. पततः
7. भवामि	8. खेलथ
9. पश्यति	10. कथयावः
11. धावन्ति	12. हँससि
13. क्रीडावः	14. कर्षन्ति
15. गायामि	16. जिघ्रन्ति
17. तनोति	18. दण्डयामि
19. नमन्ति	20. नयावः

इससे विद्यार्थियों में स्वअधिगम की प्रवृत्ति का विकास होगा।

प्रत्येक खिलाड़ी अपने घर के दाएँ से खानों में चाल चलना प्रारंभ करेगा। वह अन्य खिलाड़ियों के घरों को 'मित्र गृहम्' विश्राम स्थल मानता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। फिर घूमता हुआ अपने ही घर के बाँयीं ओर के खाने से मध्य के खानों में प्रवेश करेगा। पुनः भीतर-ही-भीतर प्रत्येक घर के सामने बने खाने में से अपनी गोटी चलता हुआ दाँयीं ओर से आकर अपने घर के सामने वाले खाने से लक्ष्य बिंदु (मध्य के खाने) तक पहुँचेगा। जिसकी गोटी मध्य स्थान में सबसे पहले पहुँचेगी वह विजयी माना जाएगा। समय अधिक लेना हो तो गोटियों की संख्या चार तक बढ़ाई जा सकती है।

4

पुतलियाँ पाठ पढ़ाती हैं

ऊषा द्विवेदी*

कठपुतली कला बहुत पुरानी कला है। इसका प्रयोग गली-मोहल्लों में या राजदरबार में नृत्य, खेल-नाटक दिखाने के लिए होता था। इस कला को यदि शिक्षण एवं पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो इसके अभूतपूर्व परिणाम सामने आते हैं। कैसे?, जानने के लिए पढ़िए यह लेख।

प्राचीन काल से ही कठपुतली के खेल गाँव-गाँव, नगर-नगर, गली-गली, राजदरबार और धार्मिक स्थलों आदि पर प्रदर्शित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। आज भी कठपुतलियों के नृत्य की प्रथा मंच पर दिखाने की परंपरा अनेक देशों में है।

पुतलीकला संप्रेषण का सरल और सशक्त माध्यम है। हम इसके माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। कक्षा में पुतली का प्रयोग समझ विकसित करने के साथ-साथ कला एवं संस्कृति से भी अवगत करवाता है। यह संप्रेषण का स्पष्ट, मनोरंजक, खेल-खेल में सीखने और कुछ करके सीखने का सुंदर और आकर्षक साधन है। इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को अहमियत देकर उनकी आत्माभिव्यक्ति को व्यक्त करने का हुनर सिखा सकते हैं। इससे कक्षा के प्रत्येक बच्चे को कुछ करने का अवसर मिलता है। इस कला के उपयोग से विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में ऐसा रिश्ता कायम होता है जिसमें डर, क्रोध और अरुचि के लिए कोई स्थान नहीं रहता।

पुतली कला के इन्हीं फायदों को दृष्टिगत रखते हुए मन में यह विचार आया कि क्यों न इस परंपरा को पाठ्यपुस्तकों से जोड़कर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाए। छोटे बच्चे खिलौनों द्वारा नाना प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। वे स्वेच्छानुसार खिलौनों को नाटकीय रूप देकर अपना मन बहलाते हैं तो क्यों न इन खेल-खिलौनों (पुतलियों) को शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि पढ़ना उनके लिए बोझिल और उबाऊ न रहे।

पिछले सत्र में हमने अपने विद्यालय में पुतली कला को पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों से जोड़ दिया और आज तक हम इस क्षेत्र में

* *हेड मिस्ट्रेस*, केंद्रीय विद्यालय, एन.सी.ई.आर.टी., कैंपस, नयी दिल्ली-110 016

प्रयोग कर रहे हैं जो कि अत्यंत सफल हुए हैं। यूँ तो कठपुतली कला से सभी परिचित हैं किंतु प्राथमिक कक्षाओं में कठपुतली कला को भिन्न-भिन्न खेलों के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इसके अभूतपूर्व परिणाम सामने आएँगे। सबसे पहले कक्षा में बच्चों को तीन या चार समूहों में बाँट दें। एक या दो समूहों को कठपुतली बनाने का काम सिखाएँ, एक समूह को पाठ को नाटक में बदलने का काम सिखाएँ और एक समूह को कठपुतली प्रदर्शन करना सिखाएँ। विद्यार्थी अपनी-अपनी योग्यता के हिसाब से समूहों में चले जाएँगे। लेखन कला में रुचि रखने वाला विद्यार्थी पाठ का चयन करके नाटक के संवाद लिखेगा। पुतली निर्माण समूह व्यर्थ सामग्री (Waste material) से पुतलियों का निर्माण करेगा। इसमें पुरानी शीशियाँ, डिब्बे, फ्यूज बल्ब, झाड़ू की सींक, बिजली की तार, टूटे हुए खिलौने, गिलास, चम्मच, कप, रस्सी के टूकड़े, जूतों के लेस, गत्ते, पुरानी ऊन, अखबार, चार्ट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पुतलियाँ कई प्रकार की होती हैं जैसे– अँगुलियों द्वारा चलाए जाने वाली पुतलियाँ, हाथ पुतली, कागज़ के थैले की पुतलियाँ और छड़पुतली (rode or stick puppet) आदि। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. दस्ताना पुतली

दस्ताना पुतली कपड़े और चार्ट से बनती है और हाथ में पहनकर चलाई जाती है। उपरी हिस्से में पुतली का मुखौटा बना होता है चालक का हाथ पुतली के अंदर होता है और उसे प्रत्यक्ष निर्देशन देते हुए चालक संचालित करता है। ये पुतलियाँ दोनों हाथों में पहनकर भी चलाई जा सकती हैं। दो पात्रों की बातचीत के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें बारी-बारी से दोनों हाथ चलते हैं।

2. उँगलियों द्वारा चालित पुतलियाँ

उँगलियों द्वारा चलाई जाने वाली पुतलियाँ सबसे आसान हैं। बच्चे अपनी उँगलियों पर मोटा चार्ट या गत्ता लपेटकर नली बना लेते है और उसका सिर बनाने के लिए अखबार को कुचलकर समेटकर सिर बना लेते है फिर इसे नली के उपर लगा देते हैं चारों तरफ से दबाकर इसे एक शक्ल दे दी जाती है। और इसे गोंद से चिपका दिया जाता है। फिर इस पर चेहरा और बाल आदि बना दिए जाते है। एक उँगुली द्वारा चालित पुतली बच्चों को कहानी और कविता सुनाने के प्रयोग में लाई जाती है। कहानी के पात्र बहुत जल्दी बनाकर उँगुलियों पर नचाकर कक्षा में दिखाए जा सकते हैं।

3. कागज़ के थैले की पुतलियाँ

कागज़ के थैले से पुतलियाँ बनाने का एक आसान तरीका है। इन्हें हम हाथों में दस्तानों की तरह पहन लेते हैं। लिफाफे के सिर पर शेर, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, हाथी और आदमी आदि की पुतलियाँ बना सकते हैं और हाथों में पहनकर घुमा-घुमा कर इनका संचालन करते हुए कहानी या कविता कहते हैं।

4. छड़ पुतली

यह कला बहुत छोटे बच्चों के साथ अभिनय या नाटकों के लिए उपयोग की जाती है। बच्चों को अपना अभिनय खुद करने के बजाय उन्हें इस आसान मनोरंजक पुतलियों के द्वारा अपना अभिनय करने का मौका देना चाहिए। इसमें किसी गत्ते या कपड़े पर बनाए गए खिलौने को छड़ी के साथ-जोड़ दिया जाता है और छड़ पकड़कर इसे चलाया जाता है।

हमारे विद्यालय में शिक्षकों ने स्वयं सीखकर बच्चों के साथ मिलकर कक्षा-कक्ष में बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार बच्चों से ही पुतलियाँ बनवाई। बच्चे और शिक्षक आपस में बहुत अच्छी तरह घुल-मिल गए। कठपुतलियों के प्रयोग के बाद बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। उसमें खास बात ध्यान रखने की यह है कि कक्षा में पुतली बनाने की सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। इसमें ज़्यादा मँहगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता। पुतली बनाने के लिए अखबार, प्लास्टिक के डिब्बे आदि व्यर्थ सामग्री का इस्तेमाल कर सकते है।

पुतलियाँ बनाने से रँगने तक, कपड़े एवं जेवर पहनाने तक का कार्य बच्चे कक्षा में उत्साह और लगन के साथ करते हैं। शिक्षक इन प्रक्रियाओं में छात्रों की मदद करता है। पुतली का प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। बच्चों के लिए तो यह एक खिलौना है। पाठ चाहे काव्यात्मक हो या कथात्मक हो पुतलियों के माध्यम से पढ़ाना कक्षाओं में बहुत ही सफल हुआ है। इतना ही नहीं गणित एवं विज्ञान की कक्षाओं में भी इनका प्रयोग सफल रहा है। कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चे तो छोटे-छोटे नाटक लिखकर पुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करने में बहुत उमंग और उत्साह दिखाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे इतने निपुण हो जाते है कि विषय-वस्तु को समझकर स्वयं ही पुतलियों का खेल-खेलने लगते हैं। कक्षा पाँचवीं के बच्चे ने तो पृथ्वी, सूरज, चाँद, सितारे, पानी, हवा आदि की प्रतीक पुतलियाँ बनाकर जमा, घटा, भाग और गुणा के पेचीदे फार्मूलों को अभिनीत कर गणित जैसे विषय के पाठों को रुचिकर एवं मनोरंजक बनाया। हमारे विद्यालय में पुतली के निर्माण के लिए Art and Craft के कालांशों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी-कभी दो या तीन घंटे की पुतली बनाने की कार्यशाला (Puppetry making workshop) का आयोजन किया जा सकता है। हमने इस प्रकार की कार्यशालाओं को ''बालमेला'' का नाम देकर अपने विद्यालय में आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में शिक्षकों की देख-रेख और निर्देशन में पुतलियों का निर्माण बच्चे खुश होकर करते हैं। पूरे साल में लगभग इस पद्धति को विद्यालय में प्रयोग करने पर लगभग एक सत्र पर दस हज़ार का खर्चा आता है।

अपने विद्यालय में इस कला का प्रयोग करने पर हमने महसूस किया कि ये कला प्रत्येक बच्चे में सीखने के प्रति रुचि का माहौल उत्पन्न करती है। पुतली नाटकीकरण बच्चों के दिलों दिमाग पर छा जाता है और

पाठ स्वत: ही उनकी समझ में आ जाता है। हमने देखा कि हमारी क्रिया-कलाप अध्यापिका जो इस कला में पारंगत हैं बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। भाषा हो या ज्ञान-विज्ञान, गणित हो या भूगोल सभी विषयों को उन्होंने इस कला से जोड़कर बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जाग्रत की। कक्षा शिक्षण में इसके प्रयोग से अन्य लाभ भी हैं।

यदि इस कला में कुछ बच्चों में रुझान या दिलचस्पी पैदा हो जाती है तो यह भविष्य में उनकी आजीविका का साधन बन सकती है। पढ़ाई कर्म प्रधान हो, जीवन प्रधान हो यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। किताबों से छात्रों को आवश्यक ज्ञान मिलता है किंतु इस क्रिया के माध्यम से शिक्षक उनमें समझ का चस्का लगा सकते हैं। इनके प्रयोग से हमने पाया कि बच्चों की बहुत सारी प्रवृतियाँ, अभिव्यक्तियाँ, रुचियाँ उजागर होती हैं। कुछ अभिव्यक्तियाँ तो ऐसी सामने आईं जिनके बारे में शिक्षक ने सोचा भी नही था। कहीं-कहीं इस विद्या में बच्चे ही आगे निकल गए और शिक्षक पीछे रह गए। तात्पर्य यह है कि बच्चों में ऐसी अनेक कलाएँ छिपी हैं जिनको अगर थोड़ा-सा भी सहारा दिया जाए तो वह निखर कर बाहर आएँगी और शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया में एक अनूठा चमत्कार पैदा करेंगी। शिक्षक के लिए यह कार्य कतई कठिन नहीं है बस आवश्यकता है तो शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन की।

5

प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण– एक भावनात्मक दायित्व

अपर्णा व्यास*

प्राचीनकाल से ही शिक्षण सर्वश्रेष्ठ तथा सम्माननीय कार्य माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा बच्चे की बुलंद इमारत में नींव का पत्थर होती है। इतिहास साक्षी है कि कई महापुरुषों को गगनचुंबीय हौसले बचपन में हुई घटनाओं के दौरान ही प्राप्त हुए थे। ऐसे में प्राथमिक शिक्षण को महज एक कार्य या नौकरी न समझते हुए शिक्षकों को भावनात्मक दायित्व मानकर ही अग्रसर होना चाहिए। बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व प्राथमिक शिक्षक के उचित मार्गदर्शन, स्नेहपूर्ण सानिध्य और हृदयस्पर्शी दैनिक वार्तालाप पर ही विकसित होता है।

प्राथमिक कक्षा बच्चे की आधारभूत तथा सबसे महत्वपूर्ण कक्षा होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास बचपन में मिले संस्कार एवं शिक्षा पर निर्भर होता है। किंतु आज के आधुनिक परिवेश में प्राथमिक शिक्षक क्या सही मायने में बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? कई शिक्षकों को तो प्राथमिक शिक्षक कहलाने में भी हीनभावना महसूस होती है। ऐसी स्थिति में जहाँ शिक्षक स्वयं ही अपने जीविकोपार्जन के माध्यम से संतुष्ट नहीं है, वहाँ अबोध बच्चे की जिज्ञासा की तुष्टि कैसे कर पाएँगे? बच्चों के स्वस्थ विकास हेतु अनुकूल वातावरण कैसे निर्मित कर पाएँगे?

प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण एक कार्य से अधिक भावनात्मक दायित्व है। बच्चों की कोमल भावनाओं को समझने का दायित्व, उनकी मासूमियत से भरी बातों को चाव से सुनने का दायित्व, उनकी बातों पर उनके मर्मस्पर्शी हृदय को छू जाने वाली प्रतिक्रिया करने का दायित्व, रोते हुए बच्चों को हँसाने का दायित्व तथा उन्हें स्नेह एवं विश्वास से परिपूर्ण वातावरण देने का दायित्व। जी हाँ, इतने सभी दायित्वों का निर्वाह करने वाला शिक्षक ही बच्चों को सही प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकारी है। बचपन में घटी घटनाओं का प्रभाव बच्चों के मन पर जीवनपर्यंत रहता है।

* *प्रवक्ता*, श्री गुजराती समाज बी.एड. कॉलेज, इंदौर, मध्य प्रदेश

मैं जब कक्षा तीन की छात्रा थी तब कक्षा में एक रोहित नाम के बच्चे का प्रवेश हुआ। उसे कक्षा में आए एक-दो दिन ही हुए थे। गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका ने सभी बच्चों को पाँच सौ तक की गिनती लिखने को कहा। मैं तो तीन सौ तक ही पहुँची थी, किंतु रोहित ने सात सौ तक की गिनती सबसे पहले लिखकर कक्षा में शिक्षिका से जँचवाई। शिक्षिका ने सभी बच्चों के समक्ष रोहित की इतनी तारीफ़ की कि मेरा मन भी उसी की तरह प्रशंसा पाने को लालायित हो उठा। तभी से मैं भी मन लगाकर कक्षा में अव्वल आने के लिए निंरतर अभ्यास में लगी रहती। शिक्षिका के द्वारा की गई दूसरे बच्चे की प्रशंसा मेरे लिए प्रेरणास्रोत साबित हुई। ऐसी कई छोटी-छोटी घटनाएँ प्रतिदिन कक्षा में होती रहती हैं, जिनका जाने-अनजाने बच्चों के मन-मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि या तो वे अनुभव शूल बनकर रह जाते हैं या सुगंधित पुष्प बनकर जीवनभर व्यक्ति को महकाते रहते हैं।

ऐसी ही एक और घटना का विवरण यहाँ प्रासंगिक है। जब मैं एक विद्यालय में पढ़ाती थी, वहाँ प्रत्येक शिक्षिका कक्षा पाँचवीं के एक विद्यार्थी आशुतोष की निंदा करती थी। सभी का यह कहना था कि छात्र पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देना चाहता है और हमेशा अन्य छात्रों को परेशान करता रहता है। उसका दिमाग भी कमज़ोर है। एक दिन मैंने उसी कक्षा में जाकर हिंदी का एक पाठ पढ़ाया जिसमें अचरज शब्द का उल्लेख था। मैंने अचरज का अर्थ जानने वाले बच्चों को हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा। कोई दो या तीन बच्चों ने रटा-रटाया अर्थ जैसे आश्चर्य करना, अचंभित होना आदि बताया। मैंने जब आशुतोष से इसका अर्थ बताने को कहा, तब उसने जवाब दिया—मैडम, यदि कोई बच्चा लगातार कक्षा में फेल होता है और किसी दिन वह कक्षा में प्रथम आ जाए तो जो होगा उसे अचरज कहेंगे। क्या अब आप आशुतोष को दिमाग से कमजोर और पढ़ाई पर ध्यान न देने वाला बालक कहेंगे? अन्य छात्रों को किताबी अर्थ मालूम था, किंतु आशुतोष व्यवहारिक अर्थ से भली भाँति परिचित था। मैंने आशुतोष की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जिसका प्रतिफल मुझे उसके कक्षा में आए सकारात्मक व्यवहार तथा परीक्षा में अच्छे अंक के रूप में देखने को मिला।

अक्सर ऐसा होता है कि जब छात्र किसी प्रश्न का जवाब इस उम्मीद से देता है कि टीचर खुश होकर शाबाशी देंगी तब कई शिक्षकों को वह जवाब बहुत ही साधारण लगता है, क्योंकि वे इस उत्तर को पहले भी कई बार सुन चुके होते हैं लेकिन बच्चा वह उत्तर जीवन में पहली बार दे रहा है। इस बात को तथा इसके साथ ही बच्चे की उम्र को भी नज़रअंदाज़ न करें। मनोवैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री सिग्मंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में यह कहा तथा सिद्ध किया है कि बचपन में ही निश्चित हो जाता है बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा? जीन पियाजे ने भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बच्चे का अधिकतम मानसिक विकास सात वर्ष की उम्र तक ही हो जाता है। अत: बच्चे की बाल्यावस्था को जीवन की

सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानकर प्राथमिक शिक्षकों को कक्षा में निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए–

- प्रतिदिन बच्चों का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें।
- बच्चों में व्यक्तिगत रुचि लें।
- उनके द्वारा किए गए छोटे-से-छोटे प्रयासों की भी सराहना करें। प्रशंसा करने में कंजूसी न करें।
- सभी बच्चों को नाम लेकर पुकारें। इससे वे आत्मीयता महसूस करेंगे।
- बच्चों के कोलाहल में शोर नहीं अपितु किलकारियों की गूँज को सुनने का प्रयास करें।
- बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति को सहज रूप में लें। उन्हें कभी भी उपहास का पात्र न बनाएँ।
- बच्चों की सृजनात्मकता का सदैव सम्मान करें। उनकी कला को प्रोत्साहित करने का कोई भी अवसर न छोड़ें।
- बच्चों द्वारा पूछी गई छोटी-से-छोटी जिज्ञासा भरी बात का भी अत्यंत रोचक अंदाज़ में उत्तर दें।
- बच्चों को तुलनात्मक नज़रिए से न देखें।
- उन्हें यह विश्वास दिलाएँ कि वे हर काम को बखूबी कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषता को निखरने का अवसर दें।

वैसे तो उपरोक्त लिखी गई बातें लगभग सभी शिक्षकों को विदित होती हैं, किंतु व्यवहारिक परिवर्तन तभी होगा जब प्राथमिक शिक्षक स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षा पर बच्चे का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, मौलिक और भावनात्मक विकास टिका होता हैं। अतः प्राथमिक शिक्षण को मात्र एक नौकरी नहीं अपितु भावनात्मक दायित्व मानते हुए बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करें। अभिभावक के समान ही शिक्षक बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं। उन्हीं की उँगली अपने नन्हे हाथों से थामकर वे पढ़ना-लिखना सीखते हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मानकर छोटे-छोटे सपने देखना शुरु करते हैं, तो क्यों न उन सपनों को पूरा करने में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देश को ऐसे उत्तराधिकारी दें जो गर्व से यह कह सकें कि हमारी बुलंद हस्ती में प्राथमिक शिक्षक का योगदान वंदनीय तथा अतुल्य है।

6

शांति की शिक्षा और कक्षायी अभ्यास

ऊषा शर्मा*

पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों एवं उनसे संबद्ध कक्षायी अभ्यासों के माध्यम से शांति की शिक्षा का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कक्षायी अभ्यासों में शांति की शिक्षा की भरपूर गुंजाइश होती है जहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी, और संपूर्ण शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया मिलकर इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। विषय क्षेत्रों से जुड़े कक्षायी अभ्यास किस प्रकार शांति की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं यही प्रस्तुत लेख का विषय है।

व्यक्ति का जीवन उसकी इच्छा, कर्म और विचारों की त्रिवेणी में प्रवाहित होता है। व्यक्ति के कार्यों का आधार सत्य और अहिंसा, धैर्य और सहिष्णुता, मृदुता और करुणा, स्वालंबन और कर्त्तव्यनिष्ठा आदि वैयक्तिक मूल्य होने चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया में व्यक्ति में वैचारिक भावात्मक एवं कर्म संबंधी परिवर्तन अपेक्षित हैं जिससे व्यक्ति श्रेयस्कर जीवन व्यतीत कर समरस समाज का निर्माण कर सके। शैक्षिक प्रक्रिया में श्रेयस्कर मूल्यों का संप्रेषण अपेक्षित है और 'शांति' अपने आप में अनिवार्य मूल्य है जिसका विकास शिक्षा-प्रक्रिया का एक मुख्य लक्ष्य है। यह भी सत्य है कि प्रकृति और मनुष्य एक-दूसरे से अप्रत्याशित रूप से घुले-मिले हैं। प्रकृति की गोद में मनुष्य जन्म लेता है, प्रकृति की गोद में उसका पोषण होता है और प्रकृति की गोद में ही मनुष्य लीन हो जाता है। मनुष्य प्रकृति का पुतला है, प्रकृति से निर्मित है इसलिए उसके शरीर और मन, विचार और आत्मा, सभ्यता और संस्कृति, मान्यताएँ और मूल्य सबको प्रकृति प्रभावित करती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, तालमेल शांति को उत्पन्न करता है। यह शांति ही है जिसके इर्द-गिर्द सभी मान्यताएँ, आस्थाएँ, उद्यम परिक्रमा करते रहते हैं। वास्तविक शिक्षा शांति की शिक्षा है, वह शिक्षा है जो यह सिखाती है कि मन के भीतर और बाहर किस तरह संयमित, संतुलित और शांतिप्रिय रहा जाता है। इसी तरह व्यक्ति

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली-110016

की शांति उसके बाहरी वातावरण को भी शांत बनाती है जो फिर व्यक्ति के भीतर की शांति का निर्माण कर एक सकारात्मक वर्तुल का निर्माण करती है।

यह भी सत्य है कि तर्क संगत शिक्षा का अर्थ होता है–मुख्य रूप से तीन बातें। पहली, मनुष्यों को यह सिखाना कि जिन बच्चों के आधार पर उन्हें निर्णय करना है–उनका अवलोकन कैसे हो और उन्हें ठीक तरह से कैसे जानें दूसरी, उन्हें सफल रूप में भली-भाँति सोचना सिखाया जाए। तीसरी, उन्हें उनके अपने तथा व्यापक भले के लिए अपने ज्ञान और विचार का प्रभावकारी रूप से उपयोग करना सिखाया जाए। समाज की तर्कसंगत व्यवस्था की नागरिकता के लिए ज़रूरत होती है, अवलोकन और ज्ञान की क्षमता, समझ और मूल्यांकन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और उच्च चरित्र की क्षमता की। इन कठिन आवश्यकताओं में से किसी की भी व्यापक कमी असफलता की भावना का निश्चित स्रोत है।

इतना ही नहीं शिक्षा का कार्य व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करना नहीं है कि वह समाज के अनुरूप बने और न ही समाज में नकारात्मक सामंजस्य ही लाना है। **शिक्षा का कार्य है–वास्तविक जीवन-मूल्यों की खोज करने में व्यक्ति की सहायता करना। इन मूल्यों की खोज के लिए आवश्यकता है-'अन्वेषण' की। परंतु पूर्वाग्रहों से रहित अन्वेषण की। साथ ही इसके लिए आवश्यक है–आत्म अवधान ।** इस संदर्भ में जे. कृष्णमूर्ति का मानना है कि यदि आत्मबोध नहीं होता तो आत्माभिव्यक्ति अंहकारमयी हो जाती है और अहंकार से युक्त इस आत्माभिव्यक्ति से फिर आक्रामक एवं महत्वाकांक्षी द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे नाश का कारण बन जाते हैं। अत: उस 'ज्ञान' से कोई लाभ नहीं जिसका परिणाम 'नाश' की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना है। वे उस संपूर्ण जीवन-प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के समय–प्रश्न चिह्न लगाते हैं। जिसमें विनाश उत्पन्न करने वाले युद्ध एक के बाद एक आते-जाते हैं। यदि युद्धों की निरंतरता बनी रहती है तो यह इस बात का संकेत है कि 'हम जिस प्रकार बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं उसमें कोई दोष है। वे कहते हैं कि संसार विक्षिप्त है। यह सब विक्षिप्तता है–यह लड़ाई, झगड़ा, धमकाना, एक-दूसरे को चीरना-फाड़ना। जे. कृष्णमूर्ति की दृष्टि में विश्व में सभी स्थानों में मनुष्यों को समाज में अपनी-अपनी संस्कृति के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि वे सामाजिक और आर्थिक व्यवहार की धारा के अनुरूप हो जाएँ, हज़ारों वर्षों से जो विशाल प्रवाह है, उसकी धारा में बहने लगें। क्या वर्तमान शिक्षा यह देख सकती है कि मानव-मन इस विशाल प्रवाह में बह न जाए, नष्ट न हो जाए।' अत: वास्तविक शिक्षा का अर्थ है–'मनुष्य का मन केवल गणित, भूगोल, इतिहास आदि में ही कुशल न हो अपितु कभी भी, किसी भी दशा में भी वह समाज के प्रवाह में न बहे, क्योंकि वह धारा जिसे हम जीवन कहते हैं, वह इस समय अत्यंत भ्रष्ट है, अनैतिक है, हिंसक है, लोभी है। अत: शिक्षकों को तो इस धारा का सामना

करने वाला बनना चाहिए ताकि इसमें शांति की स्थापना हेतु कार्य-दिशा में समुचित परिवर्तन लाया जा सके।

इस प्रकार उचित शिक्षा की सार्थकता जीवन को, जीवन के अर्थ को समग्र रूप से समझने में निहित है और किसी भी समग्रता को उसके टुकड़ों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। **जीवन को समझने का अर्थ स्वयं अपने को समझना है, और यही शिक्षा का आरंभ और अंत दोनों है।** जीवन को बिना समन्वित रूप में समझे हमारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याएँ और अधिक गंभीर तथा व्यापक ही होती जाएँगी। शिक्षा का लक्ष्य केवल विद्वानों, तकनीशियनों या फिर व्यवसाय की खोज करने वाले लोगों को उत्पन्न करना ही नहीं है। उसका लक्ष्य ऐसे एकीकृत स्त्री एवं पुरुष उत्पन्न करना है जो भय से मुक्त हों क्योंकि केवल ऐसे ही व्यक्तियों के बीच स्थायी शांति संभव हो सकती है। शिक्षा का कार्य कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर हमें नौकरियाँ पाने योग्य बनाना ही नहीं है, बल्कि यह समझने में हमारी मदद करना भी है कि मन किस प्रकार काम करता है। क्योंकि मन के कार्य का तरीका ही अनेक उपद्रवों का कारण है, यही अनेक युद्धों को जन्म देते हैं। हालाँकि हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी है कि जिससे कि मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं और वह शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है, परंतु फिर भी ऐसा जीवन असंभव बना हुआ है क्योंकि मनुष्य का समकालीन संस्कारित मन जो ईसाई, हिंदू, भारतीय, पाकिस्तानी, कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, आस्तिक एवं नास्तिक आदि में बँटा हुआ है, ऐसा नहीं होने देता। अत: हमें हरेक के मन को समझना ज़रूरी है। मार्क्स के संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की प्रज्ञा की रोशनी में समझना कि हमारा मन किस तरह कार्य करता है। यदि हम यह समझ सकें तो सबसे बड़ी क्रांति होगी ओर उस क्रांति से शांति से प्रेरित गतिविधियों का एक नया सिलसिला आरंभ हो सकेगा।

इस संदर्भ में यह प्रश्न सहज रूप से उठता है कि **शांति का वास कहाँ है? दरअसल शांति तो सभी मनुष्यों के भीतर ही होती है। शांति बाहर से आरोपित कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना है अथवा जिसे स्थापित करना है।** बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि मन के भीतर वास करने वाली शांति को स्थायी रूप प्रदान किया जाए और यह तभी संभव है जब मन भयमुक्त हो। किसी प्रकार का भय, आशंका अथवा असंतोष अशांति को उत्पन्न करता है। आशंकाएँ, अथवा असंतोष की प्रकृति और कारणों में वैविध्य होता है। अंतत: ज़रूरी है कि शांति के शत्रु भय, आशंका, असंतोष को सिर उठाने ही नहीं दिया जाए। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005* में भी कहा गया है कि 'हम' अभूतपूर्व हिंसा के दौर में जी रहे हैं। इस दौर में असहिष्णुता, कट्टरवाद, विवाद और विस्वरता की निरंतर आशंकाएँ हैं। नैतिक कार्य, शांति और कल्याण कार्यों के सामने नई चुनौतियों पेश आ रही हैं। अनसुलझे विवादों से युद्ध और हिंसा पैदा होती हैं, हालाँकि

विवाद से हमेशा युद्ध और हिंसा पैदा होना आवश्यक नहीं हैं । व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के संदर्भ में विवाद को मुखर बनाकर उसे सुलझाने के लिए अहिंसात्मक उपाय ढूँढ़ने के कौशलों के पोषण की ज़रूरत है। वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर बढ़ती हिंसा के चलते राष्ट्रीय स्कूली पाठ्यचर्या के ढाँचे के इस दस्तावेज में शांति की शिक्षा का स्थान अत्यंत स्पष्ट है। शांति स्थापित करने की दीर्घकालीन प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस शांति में सहनशीलता, न्याय, अंत: सांस्कृतिक समझ और नागरिकी जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। शिक्षा में मूल्य के रूप में शांति पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है और उनमें निहित मूल्यों की पूरक है और उन्हें जोड़ती है। इसलिए यह एक ऐसा सरोकार है जो पाठ्यचर्या और शिक्षक दोनों के लिए ही विचारणीय विषय बन गया है। इस चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि-

- **शिक्षा का वास्तविक अर्थ भली-भाँति सोचना सिखाना है।**
- **शिक्षा का कार्य है–वास्तविक जीवन-मूल्यों की खोज करने में व्यक्ति की सहायता करना।**
- **मूल्यों की खोज के लिए आवश्यकता है–अन्वेषण की।**
- **सच्ची शिक्षा वह है जो मन को समझने में हमारी मदद करे।**
- **अपनी स्वयं की प्रज्ञा की रोशनी में अपने मन को समझना होगा।**
- **शिक्षा की सार्थकता निहित है–जीवन को, जीवन के अर्थ को समग्र रूप से समझने मे।**
- **शांति सभी मनुष्यों के भीतर ही वास करती है।**
- **शिक्षा के मूल्य के रूप में 'शांति' पाठ्यचर्या के सभी-क्षेत्रों से जुड़ी हुई है।**

अत: पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों एवं उनसे संबधित कक्षायी अभ्यासों के माध्यम से शांति की शिक्षा का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन इस संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले अपनी कक्षाओं के बच्चों के बारे में भी गहराई, निष्पक्ष रूप से समझ लेना ज़रूरी है। प्राय: बच्चे जो भी सुनते है, उसमें से अधिकतर चीज़ों को समझ पाते है, लेकिन अकसर कथनी और करनी में जो अंतर होता है, उस विरोधाभास से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अलग-अलग आयु समूहों के लिए नैतिक विकास अलग-अलग तरह से होता है। आरंभिक वर्षों में बच्चे अपने आस-पास को समझने और उसके तथा अपने संबंध में चेतना के विकास में लगे रहते हैं। उनका व्यवहार सज़ा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के प्रति होता है। वे अच्छे-बुरे का अंदाज़ा इससे लगाते हैं कि कौन-सी बात मानी गई, कौन-सी नहीं। इस स्तर पर, वे बड़ों में जो देखते है उसी के अनुरूप नैतिक मूल्यों की अपनी समझ बनाते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी तार्किक क्षमताओं का तो विकास काफ़ी हद तक होता है, फिर भी वे इतने परिपक्व नहीं हो पाते कि

मान्यताओं और मानकों पर प्रश्न खड़े कर सकें। बाद में उनमें अमूर्त चिंतन का पूरी तरह विकास हो जाता है, तो वे तार्किक ढंग से बता पाते हैं कि नैतिक आचरण क्या होता है। वे नियमों के अनुरूप काम करते हैं और जानते हैं कि संपूर्ण शांति बनाए रखने में इन मूल्यों का क्या योगदान है। शांति की शिक्षा के लिए बच्चों के मानसिक स्तर और समाज में विद्यमान मूर्त, अमूर्त, चीज़ों, भावनाओं, संवेगों के प्रति उनकी अपनी समझ को ध्यान में रखना होगा।

जहाँ तक शांति की शिक्षा और कक्षायी अभ्यासों के आपसी संबंधों का सवाल है तो कहा जा सकता है कि वस्तुत: कक्षायी अभ्यासों में शांति की शिक्षा की भरपूर गुजांइश होती है जहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी, और संपूर्ण शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया मिलकर इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें इनसे अछूती नहीं हैं।

आइए, अब यह जानने का प्रयास करें कि विषय क्षेत्रों से जुड़े कक्षायी अभ्यास किस प्रकार शांति की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाठ्यपुस्तक **'आरोह'** (**कक्षा 12**) में दी गई रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी **'नमक'** का यह अंश पढ़िए–

'कीर्तन कोई ग्यारह बजे खत्म हुआ' जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगीं और साफ़िया के सवाल के जवाब में दुआएँ देती हुई रुखसत होने लगीं तब साफ़िया ने धीमे से पूछा, "आप लाहौर से कोई सौगात चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए।"

वे दरवाज़े से लगी खड़ी रहीं। हिचकिचाकर बहुत ही अहिस्ता से बोलीं, ''अगर ला सको तो थोड़ा-सा लाहौरी नमक लाना।''

जब उसका सामान कस्टम जाँच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी-सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मुहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टमवालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली।

साफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता रुक-रुक कर उनको सब कुछ बता दिया।

उन्होंने पुड़िया को धीरे-से अपनी तरफ़ सरकाना शुरू किया। जब साफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफ़िया के बैग में रख दिया। बैग साफ़िया को देते हुए बोला–''मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुज़र जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।''

वह चलने लगीं तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, ''जामा मस्ज़िद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ़ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता-रफ्ता ठीक हो जाएगा।"

जब साफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़

रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफ़िया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है-वह जो कस्टम के इस तरफ़ है या उस तरफ़।

कक्षा में बच्चों के साथ इस कहानी पर आधाारित चर्चा, सवाल-जवाब का कार्य इस प्रकार करवाया जा सकता है–

- नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था?
- जब साफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे?
- लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा यह उद्‌गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करता है?
- मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से ज़मीन और जनता बँट नहीं जाती है–उचित तर्कों और उदाहरणों के ज़रिए इसकी पुष्टि करें।
- नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे?
- 'नमक' कहानी में हिंदुस्तान-पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए।
- साफ़िया की मन:स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप साफ़िया की जगह होते तो क्या आपकी मन:स्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए।
- भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंध को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते/सकती हैं?
- विभाजन के अनेक स्वरूपों में बँटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हो सकती हैं–रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य और कला। इनमें से कौन-सबसे ताकतवर हैं और क्यों?

क्यों कहा गया कि–

- मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुज़र जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।
- किसका वतन कहाँ है–वह जो कस्टम के इस तरफ़ है या उस तरफ़।

बच्चों द्वारा दिए गए जवाब अथवा प्रतिक्रियाएँ नि:संदेह रूप से किसी भी एक मुद्दे को कई दृष्टिकोणों से देखने के बाद और विश्लेषण के उपरांत ही उभरी होंगी। इस प्रकार अन्य विषयों के अध्ययन-अध्यापन के दौरान **'शांति वार्ता'** को कक्षायी अभ्यासों में स्थान दिया जा सकता है।

शांति की शिक्षा की विधियाँ–सवालों के दायरे में

शांति की शिक्षा से जुड़ी प्राय: तीन प्रकार

के उपागमों का कक्षा में क्रियांवयन किया जाता है

- **प्रत्यक्ष उपागम अथवा प्रत्यक्ष शिक्षण शास्त्रीय निवेश**
- **समेकित संगामी उपागम**
- **आलोचनात्मक परिपृच्छा उपागम**
- **पूर्ण परिवेशीय उपागम**

प्रत्यक्ष उपागम

शांति की शिक्षा पहला उपागम जो प्रत्यक्ष शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुपालन करता है–इस मान्यता पर आधारित है कि यदि शांति की क्रिया अथवा शांति के लिए शिक्षा का कार्य रहता है तो उसका शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। यह उपागम कहीं-न-कहीं उपदेशात्मक तरीकों पर अवलंबित है जहाँ हम सीधे-सीधे बच्चों के साथ यह चर्चा करते हैं कि 'शांति' क्या है, 'शांति' क्यों ज़रूरी है और शांति नामक मूल्य को कैसे स्थापित किया जा सकता है। यह उपागम संभवत: करो या न करो (Do's or don't) की एक सूची के अनुसार कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित करता होगा। यह उपागम अपने प्रत्यक्ष शिक्षण के लिए 'प्राय:' निम्नलिखित तौर-तरीकों को अपनाता है–

- **व्याख्यान**
- **चर्चाएँ**
- **कहानियाँ**
- **चिंतनपरक अभ्यास**
- **नाटकीकरण**

प्रत्यक्ष उपागम प्राय: छोटी कक्षाओं में और/संप्रेषण में सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों का प्रयोग करता है।

समेकित संगामी उपागम

शांति की शिक्षा का यह उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि 'शांति' नामक मूल्य के विकास के लिए पृथक् कक्षाओं की आवश्यकता नहीं है और न ही प्रत्यक्ष शिक्षण की बल्कि पाठ्यचर्या के विषय-क्षेत्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ताने-बाने में ही शांति की शिक्षा को बुना जाना चाहिए। चूँकि 'शांति' जैसा मूल्य मनुष्य के भीतर ही वास करता है अत: उसे विषयों के प्रभावी शिक्षण के समय उद्दीप्त करना चाहिए। बच्चे भाषा, विज्ञान, भूगोल, गणित को पढ़ते समय इस शांति को भी आत्मसात करते चलें।

यह उपागम पाँच चरणों में कार्य करता है–

- **सीखने का संदर्भ**–इसमें बच्चे से जुड़े तमाम, परिप्रेक्ष्य कार्य करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया को सार्थक बनाया जा सकता है। इसमें निम्न बिंदु शामिल हैं-
  - **पूर्व अर्जित संकल्पनाएँ**
  - **बच्चे के जीवन का वास्तविक संदर्भ, जैसे–परिवार, विद्यालय आदि**
  - **समाज, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ**
  - **सांस्थानिक संदर्भ,** जैसे–विद्यालयी वातावरण

- **सीखने संबंधी अनुभव**–हम सभी जानते हैं कि सीखने से जुड़े अनुभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। अप्रत्यक्ष अनुभवों में बच्चे के संज्ञान पक्ष का अधिक समावेश होता है। जबकि प्रत्यक्ष अनुभवों में संज्ञान के अतिरिक्त संवेग पक्ष भी शामिल होता है। यह उपागम निम्न तकनीकों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवों पर बल देता है–
  - **भूमिका निर्वाह**
  - **वास्तविक जीवन के उदाहरण**
  - **परिस्थितिक खेल**
  - **गतिविधियाँ**

चिंतन–चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें हम सीखने संबंधी अनुभवों का अर्थ प्राप्त करते है। इस संदर्भ में शिक्षक का कार्य यह है कि वह वास्तविक अनुभवों पर चिंतन करवाते हुए कार्य (एक्शन) की ओर अग्रसर हो। यह कार्य दरअसल एक प्रकार से क्रियान्वयन, अनुप्रयोग है जो बच्चों की अभिवृत्ति और व्यवहार में प्रदर्शित होगा।

कार्य–यह आंतरिक और बाह्य व्यवहार में संशोधन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए 'पहले स्वतंत्रता संग्राम' पर चर्चा करते हुए शांति देश भक्ति, राष्ट्रीय एकता आदि मूल्यों को विकसित किया जा सकता है।

मूल्यांकन–यह बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांग रूप से मूल्यांकन का चरण है। जिसमें संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक मूल्यांकन शामिल हैं। यह वह चरण है जहाँ इस बिंदु का मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने 'शांति' नामक मूल्य को किस प्रकार और किस सीमा तक आत्मसात किया है।

आलोचनात्मक परिपृच्छा उपागम

यह उपागम संदर्भों द्वारा समस्याओं को सुलझाने हेतु बच्चे द्वारा खोजबीन, जाँच-पड़ताल से जुड़ा है। इसमें बच्चे शिक्षण की सहायता से चीज़ों, स्थितियों को स्वयं अपनाते हैं न कि किसी पथ का अंधानुकरण करते हैं। यह उपागम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें समस्या की आलोचनात्मक जागरूकता, तर्कणा, चिंतन आदि अनेक मानसिक सक्रियाएँ शामिल हैं। इस उपागम के अंतर्गत बच्चों के सामने कोई समस्या, स्थिति, जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हो रखते हुए उनके विचारों को आमंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए 'पड़ोसी देशों' से मधुर संबंध कैसे बनाए जाएँ अथवा समाज देश मे 'व्याप्त आंतकी खतरों का क्या समाधान है' आदि विषय देकर उनसे विचार विमर्श, चिंतन करवाया जा सकता है। यह उपागम निम्नलिखित तकनीकों के उपयोग पर बल देता है–

अनुरूपण प्रतिमान–इसमें किन्हीं छद्म स्थितियों में अपने ही व्यवहार के परिणामों का विश्लेषण का कार्य करवाया जाता है। विश्लेषण के उपरांत बच्चे स्वयं अपने अवांछनीय व्यवहार को परिमार्जित, परिष्कृत करते हैं।

न्यायशास्त्रीय परिपृच्छा प्रतिमान–जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें, न्यायालय की भाँति किसी मुद्दे पर बहस की जाती है, उस पर पक्ष एवं विपक्ष के तर्क सुने जाते हैं और तब

निर्णय लिया जाता है। इस प्रतिमान में किसी समस्या विशेष के बारे में पक्ष एवं विपक्ष संवाद होते हैं। एक ही समस्या को कई दृष्टिकोणों से तर्क संगत रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। तब बच्चे समूचे रूप से चीज़ों, स्थितियों, समस्याओं का विश्लेषण कर स्वयं निर्णय लेते हैं, उदाहरण के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को कौन-सी नीति अपनानी चाहिए– युद्ध और शांति? बच्चों से कहा जाए कि वे इस पर अपने-अपने विचार और तर्क प्रस्तुत करें।

मूल्य विश्लेषण प्रतिमान–इसमें बच्चों के सामने एक समस्या, मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे इसमें निहित मूल्यों की पहचान करें, उन पर चर्चा करें, उनका मूल्यांकन करें और तब एक वांछनीय, नैतिक और सर्वाधिक तर्क संगत निर्णय पर पहुँचे। यह प्रतिमान शांति, उससे जुड़े मुद्दों और उससे जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में निर्णय लेने के लिए बच्चों में तर्क शक्ति, मूल्य-निर्णय और मूल्य स्पष्टीकरण कुशलताओं का विकास करता है। वस्तुतः यह प्रतिमान शांति को भंग करने वाले द्वंद्वों के बारे में तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

पूर्ण परिवेशीय उपागम

इस उपागम को अप्रत्यक्ष उपागम भी कहा जा सकता है जिसमें शांति की शिक्षा के लिए पूरे विद्यालयी वातावरण को शांतिपूर्ण बनाना ज़रूरी है। जिससे बच्चे अपनी अवलोकन क्षमता द्वारा 'शांति' नामक मूल्य को ग्रहण कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त शांति क्लब तथा अन्य पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएँ भी शांति की शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अतः यह ज़रूरी है कि शांति की शिक्षा एक ऐसे सरोकार के रूप में विकसित हो जो समूचे स्कूली जीवन पर छा जाए–पाठ्यचर्या, कक्षा का वातावरण, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध और स्कूल से जुड़ी तमाम गतिविधियाँ । अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या, परीक्षा का इस दृष्टि से मूल्यांकन हो कि कहीं ये बच्चे में अपर्याप्तता, असंतोष, निराशा, भय, असुरक्षा आदि भावों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। विभिन्न संचार माध्यमों से बच्चों के मन पर पड़ने वाली हिंसात्मक ओर नकारात्मक छाप को भी रोकना होगा।

शांति निश्चित ही कोई प्रतिक्रिया नहीं है जो किसी विशिष्ट प्रणाली अथवा समाज के विशिष्ट संगठन या विशिष्ट विचारधाराओं या कार्यों आदि के विरुद्ध होती हो, शांति इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। यह निःसंदेह तभी आ सकती है जब मानव को संपूर्ण प्रक्रिया को यानी अपने आप को समूचे रूप में समझ लिया जाता है। इस प्रकार का स्व-ज्ञान न तो पुस्तक में पाया जा सकता है और न ही इसे किसी दूसरे से सीखा जा सकता है। जब हमारे हृदय में प्रेम होता है और जब हम अपने जीवन के हर क्षण में स्वयं का निरीक्षण करते हैं एवं अपने आपको समझने लगते हैं, तो सत्य प्रकट होता है और उस सत्य से

शांति का आगमन होता है। अपने आपको समझने और सत्य के उद्घाटन के लिए चर्चा, विचार-विमर्श, सुविचारित चिंतन, तर्कणा की आवश्यकता है, कोरे उपदेश शांति के पथ को अग्रसर नहीं कर सकते। अच्छा साहित्य जो 'शांति' नामक मूल्य को बढ़ाता है, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र और विशेषत: उनकी भाषा पर ध्यान देना ज़रूरी है। आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी शांतिमय पहल हो सकती है। इस संदर्भ में ओशो का मानना है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए तो सार्थक हो। वास्तविक शिक्षा केवल बुद्धि का प्रशिक्षण ही नहीं सिखाएगी, इससे हमें अच्छी आजीविका तो मिल सकती है, लेकिन अच्छा जीवन नहीं। हृदय आधारित शिक्षा हमें अच्छी आजीविका तो नहीं दे सकती लेकिन एक अच्छा जीवन दे सकती है और इन दोनों के बीच चुनाव करने का कोई कारण नहीं है। बुद्धि का उन बातों में उपयोग करो जिनके लिए वह बनी है और हृदय का उन बातों के लिए जिनके लिए वह बना है। हृदय द्वैत का अतिक्रमण है।

भारत में संस्कृत भाषा की राज्यवार स्थिति का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

लता पाण्डे*
रमेश कुमार**

अपने अतीत की समझ व्यापक एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कृत भाषा के महत्त्व से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह लगभग सभी देशीय भाषाओं की जननी है। देश के विभिन्न राज्यों में इस भाषा की स्थितियों का अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष यहाँ दिए जा रहे हैं।

संस्कृत शब्द की निष्पत्ति 'सम्' (उपसर्गपूर्वक) 'कृ' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर हुई है। जिसका मौलिक अर्थ 'संस्कारित भाषा' है अर्थात् संस्कृत के अध्ययन तथा उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्गों के अनुसरण से व्यक्ति स्वयं के आचरण को सुसंस्कृत कर पाता है।

निर्विवाद रूप से 'वेद' को संसार का प्राचीनतम ग्रंथ तथा भारतीय सनातन संस्कृति को प्राचीनतम संस्कृति माना जाता है। इस आदिकालीन सभ्यता को जानने हेतु संस्कृत भाषा की आवश्यकता है।

संस्कृत के महत्त्व को समझते हुए कुछ विद्वानों ने कहा है– 'संस्कृते संस्कृतिर्निहितम्' (मुसलगाँवकर, 1990, पृ.–12) अर्थात् भारतीय सनातन संस्कृति संस्कृत भाषा में ही निहित है। 'संस्कृत भारतीय विरासत एवं सभ्यता की प्रतीक है'। (पाण्डेय, 2003, पृ.–46)।

किसी भी भाषा का महत्त्व उसके पठन-पाठन की उपयोगिता पर ही निर्भर करता है। भाषा समाज, राष्ट्र एवं मानवीय मूल्यों की झलक प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। संस्कृत भाषा का संपूर्ण वाङ्मय भारतीय संस्कृति एवं

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली।

** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली।

मानवीय मूल्यों की प्रतिमूर्ति है। इसी भाषा को यह गौरव प्राप्त है जिसमें आध्यात्मिक तत्वों, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वैद्यक साहित्य, कला तथा अन्य विविध विषयों का विवेचन किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

संस्कृत की प्राचीनता, महत्ता तथा उपयोगिता से परिचित होने के बावजूद भी आज संस्कृत की लोकप्रियता में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। वर्तमान समय में जहाँ संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन होता है वहाँ भी यह ज्ञानार्जन का माध्यम न होकर मात्र जीवनयापन हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्ति का माध्यम रह गई है। वर्तमान समय में भारत के विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन दो प्रकार से होता है–

- वैकल्पिक विषय के रूप में
- मुख्य विषय के रूप में

जहाँ संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे हम 'वर्तमान शिक्षण प्रणाली' के रूप में जानते हैं। इस प्रणाली के अंर्तगत उच्चतर प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत को वैकल्पिक स्थान प्राप्त है। दूसरी ओर जहाँ स्कूली शिक्षा में संस्कृत को ही माध्यम के रूप में शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे 'परंपरागत शिक्षण प्रणाली' कहते हैं। यह शिक्षण प्रणाली प्रथमा से प्रारंभ होकर उत्तर मध्यमा तक विद्यालयों में चलती है।

परंपरागत संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था आंशिक रूप से अद्यावधि प्रचलित है जो आधुनिक संस्कृत शिक्षा-व्यवस्था से नितांत भिन्न कोटि की है। संस्कृत शिक्षा संबंधी ऐतिहासिक सर्वेक्षणों और आधिकारिक उल्लेखों तथा विवरणों के आधार पर उक्त शिक्षा व्यवस्था अधोलिखित रूप में प्रचलित थी।

प्राचीन काल में शिक्षण कार्य का प्रारंभ प्रायः शिक्षासत्र उपक्रम संस्कार से होता था। जो प्रायः ''श्रावण मास'' में किया जाता था और 'छंदसाम् उत्सर्जनम्' से पौष की पूर्णिमा को समाप्त होता था। इस प्रकार शिक्षा की अवधि लगभग 6 महीने की होती थी। आगे चलकर जैसे-जैसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों-व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि का विस्तार होता गया यह सत्रावधि अल्प समझी जाने लगी, इसलिए विषयाभ्यास का कार्यकाल संपूर्ण वर्ष का होने लगा। सत्र के मध्य लंबे अवकाश के लिए कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी धार्मिक पर्वो पर अवकाश रहता था। प्रतिपदा एवं अष्टमी को अनध्याय होने के कारण साप्ताहिक अवकाश भी रहता था।

इन दोनों प्रणालियों को स्तरीकृत रूप से निम्न दृष्टि से देखा जा सकता है–

प्राचीन शिक्षण	प्रणाली वर्तमान शिक्षण प्रणाली
प्रथमा	निम्न प्राथमिक
पूर्व मध्यमा	उच्चतर प्राथमिक
उत्तर मध्यमा	निम्न माध्यमिक
	उच्चतर माध्यमिक

संस्कृत जैसा महत्वपूर्ण विषय जो कि सनातन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण

स्रोत है, इसकी भारत के विविध राज्यों के पाठ्यक्रमों में स्थिति जानने के लिए अध्यन किया गया। इस अध्ययन में वर्तमान शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण की राज्यवार स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

केंद्र शासित प्रदेशों में संस्कृत

सात केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन लक्षद्वीप, दमन दीव, गोवा जैसे प्रदेशों में तो संस्कृत विद्यालयों में न तो उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और न ही माध्यमिक स्तर पर ही पढ़ाई जाती है।

दिल्ली में स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ संस्कृत उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 137 ग्रामीण स्कूलों में तथा 1,778 शहरी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जबकि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत 102 ग्रामीण विद्यालयों में तथा 1,221 शहरी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 73 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है जबकि 21 शहरी क्षेत्र के स्कूलों में संस्कृत का पठन पाठन होता है। यहाँ माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में संस्कृत का पठन-पाठन नहीं होता है।

चंडीगढ़ में भी उच्चतर प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 12-12 विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है जबकि माध्यमिक स्तर पर 1 ग्रामीण विद्यालय एवं 11 शहरी विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

दादर तथा नागर हवेली के उच्चतर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के दोनों क्षेत्रों के 1-1 विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

केंद्र शासित प्रदेशों की स्थितियों पर दृष्टि डालने पर यह एक सुखद संयोग ही नजर आता है कि कम-से-कम पाँच केंद्र शासित प्रदेशों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भी विभिन्न योजनाएँ संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए चलाई जाती हैं जिसकी सुखद परिणति भी दिखाई दे रही है।

उत्तर भारत में संस्कृत की स्थिति

हरियाणा के उच्च प्राथमिक स्तर के 4,430 ग्रामीण तथा 1,719 शहरी विद्यालयों तथा माध्यमिक स्तर के 2,946 ग्रामीण तथा 1259 शहरी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण होता है।

हिमाचल प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्तर के 3,215 ग्रामीण तथा 313 शहरी तथा माध्यमिक स्तर के 1,584 ग्रामीण तथा 238 शहरी विद्यालयों में संस्कृत विषय के रूप पढ़ाई जाती है।

जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में संस्कृत के अध्यापन की स्थिति शून्य है।

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर के 23,995 ग्रामीण तथा 8,656 शहरी एवं माध्यमिक स्तर पर 5,671 ग्रामीण तथा 3,690 शहरी विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

उत्तरांचल में उच्च प्राथमिक स्तर पर 3,944 ग्रामीण तथा 832 शहरी तथा माध्यमिक स्तर पर 1,242 ग्रामीण तथा 331 शहरी विद्यालयों में संस्कृत विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में संस्कृत

विभिन्न राज्यों में संस्कृत शिक्षण की स्थिति से संबंधित आँकडे निम्नवत् हैं-

राज्यों के नाम	*पढ़ाई जाने वाली भाषा का नाम*	*उच्च प्राथमिक स्तर*			*माध्यमिक स्तर*		
1. आंध्रपदेश	X	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2. अरुणाचल प्रदेश	संस्कृत	398	88	486	0	0	0
3. असम	संस्कृत	17	19	36	193	76	269
4. बिहार	संस्कृत	4,326	675	5,001	682	205	887
5. छत्तीसगढ़	संस्कृत	6,142	1,526	7,668	1,874	827	2,701
6. गोवा	X						
7. गुजरात	X						
8. हरियाणा	संस्कृत	4,430	1,719	6,149	2,946	1,259	4,205
9. हिमाचल प्रदेश	संस्कृत	3,215	313	3,528	1,584	238	1,822
10. जम्मू और कश्मीर	X						
11. झारखण्ड	संस्कृत	2,908	865	3,773	576	401	977
12. कर्नाटक	X						
13. केरल	X						
14. मध्यप्रदेश	संस्कृत	21,129	9,227	30,356	3,989	3,637	7,626
15. महाराष्ट्र	X						
16. मणिपुर	X						
17. मेघालय	X						
18. मिजोरम	X						
19. नागालैंड	X						
20. ओडिशा	संस्कृत	100	68	168	3,766	411	4,177
21. पंजाब	X						
22. राजस्थान	संस्कृत	22,511	8,037	30,548	5,407	2,939	8,346
23. सिक्किम	X						
24. तमिलनाडु	X						
25. त्रिपुरा	संस्कृत	742	127	869	43	23	66
26. उत्तर प्रदेश	संस्कृत	23,995	8,656	32,651	5,671	3,690	9,361
27. उत्तरांचल	संस्कृत	3,944	832	4,776	1,242	331	1,573
28. पश्चिम बंगाल	संस्कृत	5,014	2,046	7,060	613	295	908
29. अंडमान निकोबार	संस्कृत	73	21	94	0	0	0
30. चंडीगढ़	संस्कृत	0	12	12	1	11	12
31. दादर और नागर हवेली	संस्कृत	0	1	1	1	1	2
32. दमन और दीव	X						
33. दिल्ली	संस्कृत	137	1,778	1,915	102	1,221	1,323
34. लक्षद्वीप	X						

विषय के रूप में कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। उत्तर भारत के शेष प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विद्यालय हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों 9,361 की अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की संख्या कहीं अधिक है, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में भी शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या अधिक है जिनमें संस्कृत पढ़ाई जाती है।

मध्य भारत में संस्कृत की स्थिति

छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 6,142 तथा शहरी में 1,526 विद्यालय तथा माध्यमिक स्तर पर 1,874 ग्रामीण तथा 827 शहरी विद्यालयों में संस्कृत विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

मध्यप्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर पर 21,129 ग्रामीण तथा 9,227 शहरी तथा माध्यमिक स्तर पर 3,989 ग्रामीण तथा 3,637 शहरी विद्यालयों में संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश में भी उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय अधिक संख्या में हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है।

पश्चिम भारत में संस्कृत की स्थिति

गुजरात तथा महाराष्ट्र में संस्कृत शिक्षण की स्थिति शून्य है।

राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर पर 22,511 ग्रामीण तथा 8,037 शहरी तथा माध्यमिक स्तर पर 5,407 ग्रामीण तथा 2,939 शहरी विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

पूर्व भारत में संस्कृत की स्थिति

अरूणाचल प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर पर 398 ग्रामीण तथा 88 शहरी विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती हैं। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत विषय नहीं है।

असम में उच्च प्राथमिक स्तर पर 17 ग्रामीण तथा 19 शहरी तथा माध्यमिक स्तर पर 193 ग्रामीण तथा 76 शहरी विद्यालयों में संस्कृत का अध्यापन होता है।

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम में संस्कृत शिक्षण की स्थिति शून्य है।

ओडिशा में उच्च प्राथमिक स्तर पर 5014 ग्रामीण तथा 2,046 शहरी एवं माध्यमिक स्तर पर 613 ग्रामीण तथा 295 शहरी विद्यालयों में संस्कृत विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

बिहार में उच्च प्राथमिक स्तर पर 4,326 ग्रामीण तथा 675 शहरी एवं माध्यमिक स्तर पर 682 ग्रामीण तथा 205 शहरी विद्यालयों में संस्कृत का अध्यापन होता है।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि पूर्व भारत में पाँच राज्यों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। शेष राज्यों में भी उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर ग्रामीण विद्यालय अधिक संख्या में हैं, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है।

दक्षिण भारत में संस्कृत की स्थिति

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किसी स्तर पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है।

आंध्र प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर पर 398 ग्रामीण और 88 शहरी विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है लेकिन माध्यमिक स्तर पर संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती है।

निष्कर्षत: देखा जाए तो उत्तर एवं मध्यभारत में संस्कृत की स्थति अच्छी है, यहाँ अधिकांश प्रदेशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आया कि इन क्षेत्रों के ज़्यादा-से-ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में संस्कृत पढ़ायी जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी चाहिए कि सभी प्रदेशों में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा दें। इसके साथ ही संस्कृत विषय को रोजगारोन्मुख बनाकर इस विषय के प्रति छात्रों की रुचि को और जागृत किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय, रामशकल (2003), संस्कृत शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. मुसलगाँवकर, गजाननशास्त्री (1990) तर्क भाषा, चौखंभा सुरभारती, वाराणसी।
3. द्विवेदी, कपिलदेव (1965) संस्कृत-साहित्य का इतिहास, चौखंभा विद्याभवन, वाराणसी।

ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान के प्रति प्राथमिक शिक्षकों का अभिमत–सांख्यिकीय अध्ययन

एन.पी. उनियाल*
सुनीता बडोला**

संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन के द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थानों को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को दिए जाने से क्या वास्तव में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है यह स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रश्न है जिसका उत्तर जानना प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध यह तथ्य उद्घाटित करता है कि इन अधिकारों के विषय में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का 'ग्राम शिक्षा समिति' के सहयोग एवं कार्यों के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है। क्या वास्तव में शिक्षा में गुणवत्ता आई है?

1950 में भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात् इसमें अनेक संशोधन किए गए। शिक्षा के विकेंद्रीकरण तथा सार्वभौमीकरण को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा विद्यालयों में छात्र नामांकन, प्रबंधन, निर्माण कार्यों के साथ ही गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थानों को विशिष्ट अधिकार दिए गए। प्रस्तुत लघुशोध में शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में 'सर्वशिक्षा अभियान' के उत्तरार्द्ध में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग एवं कार्यों के प्रति दृष्टिकोण क्या है?

वर्तमान में हम सभी शिक्षा के अनवरत विकास हेतु क्रियाशील हैं, शिक्षा के विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की सहभागिता की नितांत आवश्यकता है, विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के सशक्त साधन हैं, बालकों

**आमंत्रित व्याख्याता*, शिक्षा विभाग बिड़ला संघटक महाविद्यालय, हे.न.ब. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय
***उपाचार्या*, शिक्षा विभाग बिडला संघटक महाविद्यालय, हे.न.ब. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय

के विकास हेतु समाज और समुदाय का विद्यालय को सहयोग मिलना अनिवार्य है तभी हम शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय जो कि समाज का ही एक अंग है, इसके सफल संचालन में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें योजना निर्माण और क्रियान्वयन, भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना, शैक्षिक, अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों की मॉनीटरिंग करना और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगोचर करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य एवं 6-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु ''शैक्षिक विकेंद्रीकरण अधिनियम'' का प्रस्ताव किया गया, जिसकी परिणति 'पंचायती राज अधिनियम' के रूप में हुई। विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था में विकास की इकाई गाँव हो गई। अब संशोधन में पंचायती अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु उपरोक्त पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है। इसी संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के ढाँचे पर प्रकाश डाला जा रहा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा अब ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के अधीन है जिसमें निम्न व्यवस्था प्रभावी है।

(क) अध्यक्ष–ग्राम पंचायत का प्रधान।

(ख) विद्यालय के कम-से-कम तीन छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक अनुसूचित जाति से और एक महिला होती है)।

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होता है।

(घ) प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र/छात्रा की माता-सदस्य (जिसमें कम से कम दो सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति के छात्रों की माताएँ उपलब्ध होने पर चयनित की जाती हैं।)

(ड़) ग्राम के तीन प्रबुद्ध व्यक्ति–सदस्य (अवकाश प्राप्त अध्यापक, भूतपूर्व सैनिक, स्वैच्छिक संगठन के सदस्य, जिन्हें ग्राम प्रधान की संस्तुति पर नामित किया जाता है।)

(च) दो पुरूष अभिभावक–सदस्य (जिन्हें प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।)

ग्राम शिक्षा समिति के उत्तरदायित्व

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य दो प्रकार के होते हैं, जो निम्नांकित हैं-

सामान्य उत्तरदायित्व

सेवित ग्राम में शिक्षा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा समुदाय की भागीदारी का निर्धारण करना।

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के

अनिवार्य विकास के साथ ही ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

- अध्यापक हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा मित्र एवं आचार्य/अनुदेशक के चयन का कार्य।

शैक्षिक उत्तरदायित्व

- ग्राम शिक्षा समिति की प्रतिमाह बैठक आयोजित करना।
- सरकारी और गैर सरकारी अनुदानों का उचित उपयोग, निरीक्षण तथा अभिलेखों के रख-रखाव का प्रबंध करना तथा पूर्ण पारदर्शिता लाना।
- विद्यालय के भौतिक संसाधन जुटाना, स्थल का चयन, भवन और खेल मैदान, पेयजल आदि की व्यवस्था करना।
- विद्यालय की भौतिक संपन्नता हेतु समाज और समुदाय से सहयोग सुनिश्चित करना।
- सेवित ग्राम के 6-14 वय वर्ग के बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना और *स्कूल चलो अभियान* में सक्रिय भागीदारी निभाना।
- ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना और क्रियांवयन करना।
- मातृ शिक्षक संघ तथा अभिभावक शिक्षक संघ के साथ ही स्वयं सहायता समूह का गठन कर शिक्षा और विद्यालय के विकास में इनका उपयोग करना।
- विद्यालय परिसर की सुरक्षा के साथ ही अध्यापकों को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय पर्वों में विद्यालय के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना।
- मध्याह्न भोजन योजना की मॉनीटरिंग करना।

उपरोक्त बिंदुओं के संज्ञान में लेने के पश्चात् शोधकर्त्ताओं ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं से ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान के संदर्भ में दृष्टिकोण के अध्ययन का प्रयास किया है, अतः प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए–

उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं का ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान के दृष्टिकोण का अध्ययन उनके परिवेश तथा लिंग के संदर्भ में करना।

अध्ययन के उपकरण

इस अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान को जानने के लिए 20 कथनों की एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ताओं द्वारा किया गया।

न्यायादर्श

इस अध्ययन में संबंधित जनसंख्या के अंतर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश के पर्वतीय जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी (जो विद्यालय

तालिका–1

ग्राम शिक्षा समिति का प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में योगदान के मूल्यांकन का शिक्षकों के मत प्रतिशत के आधार पर विवरण–

क्र.स.	*कथन*	*प्रतिक्रिया (प्रतिशत में)*		
		सहमत	*अनिश्चित*	*असहमत*
1.	मेरे विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का गठन हो चुका है	100	0	0
2.	ग्राम शिक्षा समिति में जो सदस्य हैं उनके व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ।	84	4	12
3.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें नियमित होती हैं।	64	23	4
4.	बैठकों में लिए गए निर्णयों से विद्यालयों में सुधार हुआ है।	57	13	20
5.	मैं ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों से संतुष्ट हूँ।	41	20	39
6.	ग्राम शिक्षा समिति के लोग समय-समय पर विद्यालय का भ्रमण करते हैं।	33.3	33.3	33.3
7.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और शिक्षकों के संबंध अच्छे हैं।	73	16	11
8.	जो बच्चे विद्यालय में दर्ज नहीं है, उनको विद्यालय में लाने में ग्राम शिक्षा समिति के लोग प्रयास करते हैं।	33	24	43
9.	बच्चों को मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति मिली या नहीं इसकी देखदेख ग्राम शिक्षा समिति के लोग करते हैं।	65	14	21
10.	विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।	28	22	50
11.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन के फलस्वरूप शिक्षक नियमित स्कूल आते हैं।	69	2	29
12.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से विद्यालय में नामांकन बढ़ा है।	34	18	48
13.	विद्यालय के भवन, मैदान, पेयजल, विद्युत और फर्नीचर निर्माण एवं मरम्मत में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	34	18	48
14.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में निर्णय मिलजुल कर लिए जाते हैं।	90	4	6
15.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ बढ़ी हैं।	25	13	62
16.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है।	11	20	69
17.	ग्राम शिक्षा समिति के लोग विद्यालय की समस्या को पंचायत की बैठक में रखकर उसका निदान करते हैं।	13	16	71
18.	विद्यालय के परिवेश को हराभरा बनाने में लोग, स्थानीय समुदाय से सहयोग लेते हैं।	27	12	61
19.	विद्यालय के वित्तीय संसाधन जुटाने में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	15	15	70
20.	ग्राम शिक्षा समितियाँ मात्र विभागीय नियमों की खानापूर्ती हैं, क्योंकि सदस्य/अभिभावक इसमें रुचि नहीं लेते हैं।	44	20	36

सुगम स्थानों में स्थित हैं) के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आते हैं, किंतु इसमें यादृच्छिक विधि से न्यायादर्श के रूप में (36) पुरुष एवं (39) महिलाओं का चयन किया गया, चयन में इस बात का ध्यान रखा गया कि एक विद्यालय से एक शिक्षक या शिक्षिका रहे। इसी प्रकार परिवेश के आधार पर (29) अर्द्धशहरी तथा (46) ग्रामीण विद्यालयों का चयन किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के दृष्टिकोणों को सहमत, अनिश्चित तथा असहमत के आधार पर किया गया, जिसका विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं 'टी' परीक्षण के आधार पर किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियों के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। उपरोक्त तालिका-1 से विशेष रुचिकर परिणाम परिलक्षित होते हैं। सभी विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन हो चुका है। अधिकांश (84%) शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के व्यवहार से संतुष्ट हैं जबकि यही (62%) शिक्षक यह भी मानते हैं कि इनके द्वारा विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ नहीं बढ़ी हैं। इससे परिलक्षित होता है कि शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के व्यवहार से संतुष्ट हैं परंतु कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। 64 प्रतिशत शिक्षक शिक्षिकाएँ ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठक होने की बात स्वीकारते हैं, परंतु 71 प्रतिशत यह विचार भी रखते हैं कि समिति के सदस्य विद्यालय की समस्याओं को पंचायत की आम बैठक में रखकर उनका निदान नहीं करते हैं। अर्थात् ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य उचित समय पर विद्यालय की आवश्यकताओं के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसलिए शिक्षक समिति के कार्यों के प्रति विभाजित मत व्यक्त करते हैं। सबसे प्रभावशाली तथ्य है कि समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों के बीच संबंध मधुर हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्य है इसके गांवों में अधिकांश महिलाएँ ही मूल रूप से निवास करती हैं। पुरुष रोजगार एवं अन्य व्यवसाय के कारण गांव से बाहर बड़े शहरों या सेना में सेवा करते हैं। बहुसंख्यक पहाड़ी महिलाएँ आज भी विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करती हैं। वे भावात्मक रूप से शील एवं सौम्य होती हैं। उनका अपने बच्चों के शिक्षकों के प्रति आदर भाव का होना एक स्वाभाविक क्रिया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 50 प्रतिशत महिलाएँ ग्राम प्रधान एवं सदस्यों की भूमिका में भी हैं। बेसिक शिक्षा का पंचायतीकरण होने से शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति भी बढ़ी है लगभग 69 प्रतिशत शिक्षक यह स्वीकारते हैं।

विद्यालय से वंचित छात्रों को विद्यालय में दाखिल करवाने में शिक्षक ही प्रयास करते हैं जबकि अधिकांश अभिभावक छात्रों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन तथा छात्रवृत्ति की जानकारी रखते हैं।

विद्यालय के विकास संबंधी कथनों के प्रति शिक्षक एक समान विचार रखते हैं। 70 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, 64 प्रतिशत शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में सहयोग देने तथा 61 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय को हरा भरा बनवाने एवं 69 प्रतिशत शिक्षक छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के साथ ही 48 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय भवन की मरम्मत में सहयोग देने संबंधी कथनों से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, 44 प्रतिशत शिक्षक ही यह मानते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति मात्र विभागीय नियमों की खाना पूर्ति ही है, क्योंकि सदस्य इसमें रुचि नहीं लेते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन का तुलनात्मक अध्ययन

उत्तराखण्ड भौगोलिग दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र का एक पर्वतीय राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पहाड़ी है। पहाड़ी क्षेत्र में कार्य करना तथा मूल निवासियों की गढ़वाली और कुमाऊँनी बोली वाले बच्चों से संवाद बनाना एक चुनौती भरा काम है। मैदानी मूल के शिक्षकों को इसमें विशेष कठिनाई आती है।

शोधकर्त्ता ने यह जानने का प्रयास किया है कि ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के प्रति दुर्गम क्षेत्र एवं सुगम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों तथा महिला और पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोणों में क्या अंतर है?

तालिका–2

ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक–शिक्षिकाओं के दृष्टिकोणों का माध्य, प्रामाणिक विचलन तथा 'टी' मूल्य का विवरण

चर	N	M	SD	'टी' मूल्य df = 73
सुगम क्षेत्र	29	40.86	7.23	0.45 NS
दुर्गम क्षेत्र	46	40.09	7.09	
शिक्षक	36	39.61	6.56	0.91 NS
शिक्षिकाएँ	39	41.10	7.60	

NS = सार्थक नहीं है।

तालिका–2 के परिणाम से स्पष्ट होता है कि शिक्षक–शिक्षिकाएँ जो सुगम (विद्यालय जो सड़क मार्ग से 1 किमी. की परिधि में हैं) या दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हों, उनके ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के प्रति दृष्टिकोणों की सांख्यिकीय गणना करने पर अवगत होता है कि उनका ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के प्रति दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। साथ ही पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोणों के मध्य भी कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है अर्थात् उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएँ ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं साथ ही यही स्थिति सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के बीच भी है।

निष्कर्ष

उपयुक्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित प्राप्त हुए हैं–

- प्रत्येक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है।
- अधिकांश शिक्षक-शिक्षिकाएँ ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि शिक्षकों का ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के व्यवहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।
- शिक्षकों की दृष्टि में ग्राम शिक्षा समिति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का सही रूप से निर्वहन नहीं कर पा रही है। ऐसा उनके प्रशिक्षित न होने के कारण भी हो सकता है।
- ग्राम शिक्षा समिति का सही रूप से कार्य और संचालन न करना प्राथमिक शिक्षा के पंचायतीकरण और गुणवत्तापरक शिक्षा की अवधारणा के लिए एक प्रश्न चिह्न है, जो किसी भी दृष्टि में समाज के लिए हितकर नहीं है।
- लगभग 50 प्रतिशत शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति का गठन विभागीय नियमों का पालन और खानापूर्ति समझते हैं तो यह एक चिंतनीय तथ्य है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से गतिमान है, प्राथमिक शिक्षा का पंचायतीकरण हो चुका है फिर भी शिक्षक एवं शिक्षा विभाग ग्राम शिक्षा समिति को जागरूक नहीं कर पा रहा है, यह एक वैचारिक प्रश्न है।
- दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य ग्राम शिक्षा समिति के प्रति अभिमतों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन में योगदान प्रति प्राथमिक शिक्षकों के दृष्टिकोणों में लिंग भेद का कोई अंतर सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

सुझाव

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक उन्नयन के योगदान के प्रति शिक्षकों के अभिमत के संदर्भ में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं-

- प्रतिवर्ष ग्राम शिक्षा समिति के गठन के पश्चात् उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे सदस्यों को उनके कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी मिल सके। ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ही अपने स्तर से सरकारी सहायता को व्यय करते हैं, इसलिए सदस्यों का जागरूक होना नितांत आवश्यक है।
- विद्यालयों के निरीक्षकों को अपने भ्रमण में ग्राम शिक्षा समिति से मिलकर सही कार्यों एवं शैक्षिक गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करनी चाहिए जिससे शिक्षक एवं अन्य पद धारक अभिभावक किसी भी प्रकार की अनियमितता न कर सकें। शैक्षिक गतिविधियों का सही मूल्यांकन हो सके।

अंत में, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए अभिभावकों के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। विशेष कर उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों

की अधिकता है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों पर ही निर्भर है। सरकार अनुदान तो पर्याप्त देती है परंतु उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित ग्राम शिक्षा समितियाँ ही कर सकती है। तब ही सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएँ सफल हो सकती हैं और राष्ट्रीय लक्ष्यों की सफल पूर्ति हो सकेगी।

9

प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन

अरुण कुमार मिश्र*

आजादी प्राप्त करने के पश्चात् हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा का जैसा विस्तार हुआ वैसा किसी अन्य देश में नही हुआ। अब तक शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास तथा अनेक संसाधन जुटाए गए हैं। विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयासों द्वारा शिक्षा के विस्तार में कई गुना वृद्धि भी हुई, किंतु शिक्षा में अपेक्षित स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन नहीं हो सका। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रथम आवश्यकता है, शत-प्रतिशत बच्चों के लिए विद्यालय उपलब्ध कराना, द्वितीय आवश्यकता है शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में रोके रखना एवं उन्हें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कराना। परंतु विडंबना यह है कि हमारे देश में नामांकन के बाद भी विद्यार्थी बीच में ही विद्यालय छोड़े देते है। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मार्ग में अपव्यय की समस्या सबसे गंभीर बाधा हैं। इसके प्रमुख कारणों में लैंगिंक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, जाति-वर्ग, विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, कर्तव्यनिष्ठा की कमी, घरेलू कार्य, जागरूकता का अभाव, अभिभावकों की उदासीनता आदि हैं। इन कारणों को दूर किए बिना विद्यालय छोड़ने की समस्या से छुटकारा नही मिल पाएगा।

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की वह आंतरिक ऊर्जा है जिसके सहारे वह विकास के पथ पर अग्रसर होता है शिक्षा के सभी स्तरों में प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कार्य किसी इमारत की नींव की ईंट के समान है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान के 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह ऐतिहासिक विधान 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है।

**प्रवक्ता* (बी.एड.विभाग), राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (उ.सिं.न.), उत्तराखण्ड

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर शिक्षण संस्थाओं, शिक्षकों की संख्या, विद्यालयों में नामांकन आदि में प्रभावी रूप से बढ़ोतरी हुई है लेकिन जनसंख्या में इससे अधिक तेज़ी से वृद्धि होने के कारण यह अप्रभावी रही है। सरकार द्वारा करोड़ों रूपये खर्च किए जा रहे हैं परंतु उसके नतीजे अपेक्षित एवं संतोषजनक नहीं हैं।

प्राथमिक शिक्षा की परिधि में सभी बच्चों को शामिल करने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान सर्वप्रमुख है, जिसके अंतर्गत मिड-डे-मील, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, शिक्षकों और शिक्षामित्रों की नियुक्ति आदि का आधा-अधूरा क्रियान्वयन जारी है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रथम आवश्यकता है शत-प्रतिशत बच्चों के लिए विद्यालय उपलब्ध कराना, द्वितीय आवश्कता है शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालयों में रोके रखना एवं उन्हें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कराना, परंतु विडंबना यह है कि हमारे देश में नामांकन के बाद भी अधिकतर बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं और जो बने रहते हैं वे भी निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते हैं। अत: शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है।

समस्या कथन–"प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन"

समस्या का परिभाषीकरण

प्राथमिक विद्यालयों से तात्पर्य परिषदीय विद्यालयों से है।

विद्यार्थियों से आशय कक्षा 1 से 5 तक के सभी जाति के छात्र और छात्राओं से है।

विद्यालय छोड़ने से आशय कक्षा 1 में कुल नामांकित विद्यार्थियों का अगली कक्षा में शिक्षा न प्राप्त करने से है अर्थात वे विद्यार्थी जो कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए है–

1. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का लिंग के आधार पर अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अध्ययन करना।
3. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का जाति-वर्ग के आधार पर अध्ययन करना।
4. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का विद्यालय की स्थिति के आधार पर अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ स्थापित की गईं–

1. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों में लिंग (छात्र/छात्रा) के आधार पर कोई अंतर नहीं है।
2. प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति (उच्च/निम्न) के आधार पर कोई अंतर नहीं है।
3. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों में जाति-वर्ग (सामान्य/आरक्षित) के आधार पर कोई अंतर नहीं है।
4. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों में विद्यालय की स्थिति (सुविधा संपन्न/सुविधा रहित) के आधार पर कोई अंतर नहीं है।

शोध कार्य की परिसीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन की भी कुछ सीमाएँ निश्चित की गई हैं, जो कि निम्नांकित है–

1. प्रस्तुत अध्ययन में राज्य सरकार द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया है।
2. परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
3. न्यायादर्श का विभाजन केवल छात्र/छात्रा, उच्च/निम्नवर्ग, सामान्य/आरक्षित, सुविधा संपन्न/सुविधा रहित विद्यालय के आधार पर ही किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन में केवल विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन किया गया है।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इसके अंतर्गत प्राथमिक समंकों का प्रयोग करके इस तथ्य का निर्वचन किया गया कि विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के लिए कौन-कौन-से कारक जिम्मेदार हैं। समस्या के संभावित कारकों के रूप में लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्तर, जाति-वर्ग एवं विद्यालयी स्थिति का अध्ययन किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र एवं 15 विकासखंडों में स्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक नामांकित वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया था परंतु कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ दिया है।

न्यायादर्श

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इसके अंतर्गत शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र एवं 15 विकासखंडों में स्थित समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 10 प्रतिशत विद्यालयों का क्रमानुसार दैव प्रतिचयन विधि से चयन किया गया था तथा उन विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में से विद्यालय छोड़ने वाले 50

प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन विद्यालयी अभिलेखों के आधार पर लाटरी विधि द्वारा किया गया, तत्पश्चात् शोधकर्त्ता ने स्वयं संपर्क कर विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन किया।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक विद्यालय छोड़ने के कारणों का मापन करने हेतु अनुसंधानकर्त्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है।

समंकों का संग्रहण

अनुसंधानकर्त्ता ने अध्यापकों का साक्षात्कार विद्यालय में लिया तथा विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से घर में संपर्क कर उनका साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार अनुसूची भरी।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

साक्षात्कार अनुसूची के प्रशासन से प्राप्त प्राथमिक समंकों का उनकी विशेषतानुसार वर्गीकरण करने के पश्चात् उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों जैसे- मध्यमान, प्रमाप विचलन तथा प्रमाप विभ्रम आदि के द्वारा विश्लेषण किया गया। परिकल्पना परीक्षण हेतु क्रांतिक अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना परीक्षण-1

सारणी संख्या-1 से स्पष्ट होता है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में छात्रों के विद्यालय छोड़ने का औसत 18.328 है, जो छात्राओं के विद्यालय छोड़ने के औसत 20.756 की तुलना में 2.428 कम है। माध्य के अंतर का प्रमाप

सारणी संख्या-1

विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का लिंग के आधार पर अध्ययन

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यममान	प्रमाप विचलन	माध्य अंतर	प्रमाप विभ्रम	क्रांतिक अनुपात	5 प्रतिशत सार्थकता स्तर (1.96)
छात्र	128	18.328	3.761	2.428	0.531	4.531	सार्थक
छात्रा	131	20.756	4.811				

परिकल्पना परीक्षण -2

सारणी संख्या-2

विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अध्ययन

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यममान	प्रमाप विचलन	माध्य अंतर	प्रमाप विभ्रम	क्रांतिक अनुपात	5 प्रतिशत सार्थकता स्तर (1.96)
उच्च	57	18.474	4.147	1.387	0.635	2.185	सार्थक
निम्न	202	19.861	4.537				

विभ्रम 0.536 है, जिसके आधार पर परिकलित क्रांतिक अनुपात 4.531 है, जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रांतिक मान 1.96 से अधिक हैं अत: उपर्युक्त शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की तुलना में छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है।

सारणी संख्या-2 से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का औसत 18.474 है, जो निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के औसत 19.861 की तुलना में 1.387 कम है। माध्य के अंतर का प्रमाप विभ्रम 0.635 है, जिसके आधार पर परिकलित क्रांतिक अनुपात 2.185 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित होती है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है।

परिकल्पना परीक्षण -3

सारणी संख्या-3

विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का जाति-वर्ग की स्थिति के आधार पर अध्ययन

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यममान	प्रमाप विचलन	माध्य अंतर	प्रमाप विभ्रम	क्रांतिक अनुपात	5 प्रतिशत सार्थकता स्तर (1.96)
सामान्य	74	18.081	4.239	2.076	0.592	3.508	सार्थक
आरक्षित	185	20.157	4.458				

उपरोक्त सारणी संख्या-3 से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य जाति-वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का औसत 18.081 है, जो आरक्षित जाति-वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के औसत 20.157 की तुलना में 2.076 कम है, माध्य के अंतर का प्रमाप विभ्रम 0.592 है, जिसके आधार पर परिकलित क्रांतिक अनुपात 3.508 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रांतिक मान 1.96 से अधिक है। अत: उपर्युक्त शून्य

परिकल्पना परीक्षण -4

सारणी संख्या-4

विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का विद्यालयी स्थिति के आधार पर अध्ययन

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यममान	प्रमाप विचलन	माध्य अंतर	प्रमाप विभ्रम	क्रांतिक अनुपात	5 प्रतिशत सार्थकता स्तर (1.96)
सुविधा संपन्न	72	18.528	4.950	1.434	0.659	2.175	सार्थक
सुविधा रहित	187	19.962	4.210				

परिकल्पना अस्वीकृत होती हैं निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में समान्य जाति-वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में आरक्षित जाति-वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है।

उपरोक्त सारणी संख्या-4 से स्पष्ट होता है कि सुविधा संपन्न प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का औसत 18.528 है, जो सुविधा रहित प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के औसत 19.962 की तुलना में 1.434 कम है। माध्य के अंतर का प्रमाप विभ्रम 0.659 है, जिसके आधार पर परिकलित क्रांतिक अनुपात 2.175 है, जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रांतिक मान 1.96 से अधिक हैं। अत: उपर्युक्त शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निषकर्षत: यह कहा जा सकता है कि सुविधा संपन्न प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में सुविधा रहित प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है।

अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता

- बच्चों के माता-पिता और संरक्षकों (विशेष रूप से निरक्षर) के लिए खाली समय में शिक्षा देने हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को इस प्रकार तैयार करना होना चाहिए कि ये अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु तत्पर हो सकें।
- विद्यालयों में विविध पाठ्य-सहगामी क्रियाओं को अनिवार्य बनाकर शिक्षा को क्रियात्मकता आधारित बनाना चाहिए।
- विद्यालय का वातावरण सहयोग और सहानुभूति पूर्ण हो इसके लिए अध्यापकों में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण के उपाय अपनाने चाहिए।
- बच्चों को फेल करने की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा एक सतत् और व्यापक व्यावहारिक मूल्यांकन व्यवस्था को इसका स्थान लेना चाहिए।
- विद्यालय को बच्चों के घर के पास निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु गंभीर उपाय करने चाहिए।
- विद्यालय में दंड को पूर्णतया समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनानी चाहिए।
- अध्यापकों को अन्य शिक्षणेत्तर कार्यों से मुक्त करने के लिए कारगर नीति बनानी चाहिए।
- छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में रोज एक निश्चित राशि तथा भोजन के मीनू में विविधता लाए जाने का उपाय किया जाना चाहिए।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की धारा में विद्यार्थियों को सम्मलित करने की पूर्व तैयारी का कार्य करती है।

- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह तथा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विद्यालय में अनवरत रखने हेतु ग्रामीण समुदाय के मानस को तैयार किया जा सके।
- जिन परिवारों के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय आ रहे हों उन्हें एक ग्रीन कार्ड दिया जाए तथा उन्हें रोजगार कार्यक्रमों, ऋण आदि की सुविधा दिलाए जाने के कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाए।
- ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में समयपूर्व विद्यालय छोड़ने पर दी जा रही वार्ताओं में अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए।
- सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग-धंधे, फैक्ट्रियाँ, कल-कारखाने लगाने चाहिए, जिससे गरीब परिवारों को रोजगार मिले, उनकी आय में वृद्धि हो और वे अपने बच्चों को अर्थोपार्जन हेतु नहीं, अपितु पढ़ने भेजें।
- विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में खेलकूद, व्यायाम, योगासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का भी आयोजन करना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों में रुचिशील, जागरूक और प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए।
- समुदायों, संगठनों, अभिभावकों का अध्यापक, बी.आर.सी. एवं शिक्षाधिकारियों के साथ सतत् विचार-विमर्श होना चाहिए।
- विद्यार्थियों के साथ लिंग, जाति, धर्म, अमीरी-गरीबी, आदि किसी भी प्रकार से भेद-भाव न किया जाए।
- शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के लिए एक अत्याधुनिक योजना विकसित करनी होगी ताकि निश्चित समय पर उपस्थित न होने पर उनकी उपस्थिति दर्ज न हो सके।
- प्राथमिक विद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थाओं के समान सुविधा संपन्न बनाना चाहिए जिससे विद्यार्थी आकर्षित होकर प्रतिदिन विद्यालय आएँ।

अत: स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ना एक गंभीर शैक्षिक समस्या है जो देश के भावी कंधों को कमजोर कर रही है अर्थात् वर्तमान के साथ-साथ देश का भविष्य भी बिगाड़ रही है। भारत में इस समस्या की जड़ में परंपरागत कारण ही विद्यमान हैं। माता-पिता की अशिक्षा, गरीबी, विद्यालयों का अनाकर्षक वातावरण, सिर्फ किताबी शिक्षा, सुविधा विहीनता आदि इस समस्या का प्रमुख कारण है।

इसके साथ ही शिक्षा की समग्र प्रक्रिया का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और जीवन की आवश्यकताओं से न जुड़ा होना समस्या का एक और पक्ष है।

अत: आवश्यक है कि शिक्षण व्यवस्था में छोटे-छोटे सुधारों के स्थान पर एक स्पष्ट, समग्र और दीर्घकालीन नीति बनाने की ताकि विद्यालय छोड़ने की समस्या को दूर किया जा सके।

10

पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरणीय मूल्यों एवं दायित्वों का अध्ययन

निधि श्रीवास्तव*

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन एक वैकल्पिक विषय है। प्रस्तुत शोध प्रशिक्षणार्थियों के दो समूहों पर किया गया है जिसमें से एक ने इस विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है तथा दूसरे समूह ने नहीं चुना है। शोध का उद्देश्य यह जानना है कि क्या इस विषय का अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने तथा उनमें पर्यावरण मूल्यों एवं दायित्वों को विकसित करने में सफल हुआ है?

मानव पर्यावरण का अभिन्न अंग है। पर्यावरण में वह सभी कुछ सम्मिलित है जो हमारे चारों तरफ़ है इसमें मानव, पौधे, जंतु, तथा सूक्ष्म जीव, खनिज तत्त्व, पानी, वायु आदि सभी कुछ सम्मिलित हैं। पर्यावरण में वे सारी बाहरी दशाएँ आ जाती हैं जो जीव के जीवन तथा विकास को प्रभावित करती हैं। प्रकृति से अत्यधिक छेड़छाड़ के कारण संसार में चारों तरफ पर्यावरण क्षय परिलक्षित है। पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल-वर्षा, ओजोन क्षति, तापमान में वृद्धि आदि मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अवैज्ञानिक प्रयोग का ही परिणाम है। आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जन समुदाय में पर्यावरण जागरूकता के प्रति वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक सफल साधन पर्यावरण शिक्षा है। इसके द्वारा शिक्षक, विद्यार्थियों में उचित अभिवृत्ति, मूल्य एवं दायित्व भाव उत्पन्न कर सकते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में भी 'पर्यावरण शिक्षा' को औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देने पर

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

जोर डाला गया है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा जन-चेतना में वृद्धि को शिक्षकों के पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। शिक्षक ऐसा मानवीय संसाधन है जिस पर देश का भविष्य एवं विकास निर्भर करता है। वह विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा द्वारा उचित मूल्यों, अभिवृत्तियों का विकास सुगमता से कर सकता है परंतु इस हेतु शिक्षक समुदाय को भी पर्यावरण का ज्ञान, जागरूकता तथा कौशलों की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है जिससे इस विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षक, विद्यार्थियों में भी पर्यावरण प्रबंधन की योग्यता तथा कौशल विकसित कर सकें। शोधार्थी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि वर्तमान में बी.एड. पाठ्यक्रम में संचालित पर्यावरण शिक्षा का प्रशिक्षण कहाँ तक शिक्षक प्रशिक्षुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने तथा उनमें पर्यावरण मूल्यों एवं दायित्वों को विकसित करने में सफल हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करने वाले और नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर अध्ययन किया गया।

फ्रेडरिक (1974) ने अपने अध्ययन में पाया कि बालकों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन एवं जैविक मुद्दों के प्रति दायित्व परिवर्तन में सकारात्मक वृद्धि पर्यावरण अध्ययन के अनुदेशनों के परिणामस्वरूप थी। विल्सन और टोमेरा (1980) ने भी यह पाया कि पर्यावरण अध्ययन द्वारा दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। रेमंड (1975) ने बताया कि नैतिक मूल्यों का संबंध पर्यावरण ज्ञान से होता है। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरण ज्ञान में सकारात्मक परिवर्तन होता है। (माकोविट्स, 1977 फ्रेडरिक, 1974 दुबे 1994) पर्यावरणीय उपागम (एक्जेमल, 1980), पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम 'नेचरस्कोप' (आर्मस्ट्रांग और अन्य 1991) एवं प्रतिभासी अधिगम उपागम (गोपालकृष्ण, 1992) का पर्यावरण ज्ञान के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण उपागम द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि होती है। (राजपूत, 1980 देवपुरिया, 1984) पर्यावरणी कार्यक्रमों द्वारा पर्यावरणीय अभिवृति में सकारात्मक परिवर्तन होता है (ज्विक 1978, विल्सन और अन्य 1980 क्राइस 1991)। सिब्ले (1974) ने पाया कि अनुकरण खेलों तथा पर्यावरण अनुदेशों द्वारा पर्यावरण अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। उपरोक्त अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा, व्यक्ति की पर्यावरणीय अभिवृत्ति, मूल्यों एवं दायित्वों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शोध यह जानने हेतु किया गया है कि क्या पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा बी.एड. प्रशिक्षार्थियों के मूल्यों एवं दायित्वों में परिवर्तन आता है?

उद्देश्य

1. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यों तथा दायित्वों का अध्ययन।
2. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यों तथा दायित्वों के संबंध का अध्ययन।

परिकल्पना

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया–

1. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यों तथा दायित्वों में सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यों एवं दायित्वों में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान की कारणात्मक तुलनात्मक तथा सहसंबंधात्मक विधि द्वारा किया गया।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में इलाहाबाद जनपद के समस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

न्यायादर्श

इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट-डीम्ड यूनिवर्सिटी के 66 (40 पर्यावरण अध्ययन नहीं करने वाले और 26 पर्यावरण-अध्ययन के विद्यार्थी) शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों को यादृच्छिक विधि से न्यादर्श के रूप में चुना गया।

उपकरण

पर्यावरण मूल्यों के मापन के लिए के.एस.मिश्र द्वारा निर्मित 'पर्यावरण मूल्य मापनी' तथा दायित्त्व मापन के लिए स्वनिर्मित 'पर्यावरण दायित्त्व मापनी' का प्रयोग किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

आँकड़ों के विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण तथा गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक की गणना की गई।

परिणाम एवं विवेचन

विश्लेषण के पश्चात् परिकल्पनाओं के परीक्षण निम्नलिखित हैं–

1. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरण मूल्यों का अध्ययन–

इस हेतु 'पर्यावरण अध्ययन करने तथा इसे नहीं करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरणीय मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं होता है परिकल्पना निर्मित की गई। इसका परीक्षण टी-परीक्षण द्वारा किया गया। परिणाम को तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका–1

पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरणीय मूल्यों में अंतर को दर्शाता टी-परीक्षण के परिणाम का सारांश

समूह	*संख्या (n)*	*मध्यमान*	*प्रमाणिक विचलन*	*टी-अनुपात*
पर्यावरण अध्ययन करने वाले	26	80.73	8.31	5.73*
पर्यावरण अध्ययन नहीं करने वाले	40	65.6	12.79	

*0.01 स्तर पर सार्थक

तालिका-1 से स्पष्ट है कि टी. का परिगणित मान (5.73).01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।

अत: शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। स्पष्ट है कि दोनों समूहों में पर्यावरणीय मूल्यों के संदर्भ में अंतर है। पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण संबंधी मूल्य, पर्यावरण अध्ययन न करने वालों की अपेक्षा अधिक हैं। ऐसा इस कारण हुआ कि पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में जागरूकता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, विषय के ज्ञान के परिणामस्वरूप हुआ। फ्रेडरिक (1974) विल्सन और टोमेरा (1980) और रेमण्ड (1975) के अध्ययनों द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है।

2. पर्यावरण अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षार्थियों के पर्यावरणीय दायित्वों का अध्ययन

इस हेतु 'पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा इसे नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पर्यावरण दायित्वों में अंतर नहीं है' की परिकल्पना का परीक्षण किया गया परिणाम तालिका-2 में प्रदर्शित हैं–

तालिका–2

पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले तथा इसे नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षार्थी के पर्यावरणीय दायित्वों में अंतर को दर्शाता टी-परीक्षण के परिणाम का सारांश

समूह	*संख्या (n)*	*मध्यमान*	*प्रमाणिक विचलन*	*टी-अनुपात*
पर्यावरण अध्ययन करने वाले	26	153.5	16.89	4.94*
पर्यावरण अध्ययन नहीं करने वाले	40	130.55	19.94	

*0.01 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि टी का परिगणित मान, 4.94 है जो .01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान (2.66) से अधिक सार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और कहा जा सकता है कि यह पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में पर्यावरणीय दायित्व अधिक होता है। फ्रेडरिक (1974) के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के दायित्व भाव में परिवर्तन आता है।

3. पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरण मूल्यों तथा दायित्वों में सहसंबंध का अध्ययन–

यह प्राक्कल्पित किया गया कि 'पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यों एवं दायित्वों में सार्थक सहसंबंध नहीं होता है' इस परिकल्पना के हेतु गुणनफल आधूर्ण सहसंबंध गुणांक की गणना की गई। परिणाम तालिका-3 में दिखाए गए हैं-

तालिका–3

पर्यावरणीय अध्ययन करने वाले तथा नहीं करने वाले शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरणीय मूल्यों तथा दायित्वों में सहसंबंध को दिखाती तालिका

समूह	*संख्या (n)*	*सहसंबंध गुणांक*
पर्यावरण अध्ययन करने वाले	26	0.72*
पर्यावरण अध्ययन नहीं करने वाले	40	0.67*

*0.01 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दोनों समूहों पर्यावरण अध्ययन करने वाले अथवा इसे नहीं करने वालों में पर्यावरण मूल्यों तथा दायित्वों के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। पर्यावरणीय मूल्यों में वृद्धि होने से पर्यावरणीय दायित्वों में भी वृद्धि होती है।

शैक्षिक निहितार्थ-

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों द्वारा स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लायी जा सकती है (फ्रेडरिक, 1974 माकोविट्स, 1977 दुबे, 1994 राजपूत, 1980 देवपुरिया, 1984)। नैतिक मूल्यों का संबंध, पर्यावरण ज्ञान से होता है। (रेमण्ड, 1975)। पर्यावरणीय अनुदेशों एवं कार्यक्रमों द्वारा पर्यावरणीय अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। (सिब्ले, 1974 ज्विक 1978, क्राइस 1991)। अतः शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यावरणीय अध्ययन विषय को वैकल्पिक विषय के स्थान पर अनिवार्य विषय कर देना चाहिए, ताकि राष्ट्र के भविष्य निर्माता शिक्षकों को इस विषय में पारंगत बनाकर उनमें जागरूकता, मूल्यों, अभिवृत्ति तथा दायित्व बोधका विकास किया जा सके। जब शिक्षक पर्यावरण मूल्यों एवं दायित्वों से परिपूर्ण होंगे, तो वे अपने विद्यार्थियों में भी उचित मूल्यों का विकास कर सकेंगे। अतः नीति निर्माताओं को इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

- फ्रेडरिक, सी.(1974). एन एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ए स्पेसली डिजाइंड एंवायरमेण्टल स्टडीज कोर्स ऑन सेलेक्टेड अफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल ड्रापआउट. डिजर्टेशन एब्सट्रेक्ट्स इण्टरनेशनल 135 (4), 2072
- विल्सन, आर. जे. और टोमेरा, आंद्रे. एन. (1980), एनरिचिंग ट्रेडीशनल बॉयलॉजी विद एन इनवायरनमेंटल पर्सपेक्टिव, जर्नल ऑफ इनवायरनमेंटल एजुकेशन, 12 (1), 12
- रेमण्ड जी.डी. (1975), मॉरल वैल्यूइंग एण्ड इनवायरनमेंटल वैरिएबल्स जर्नल ऑफ रिसर्च इन साइंस एजुकेशन, 1, 273-280
- मार्कोविट्ज, पी. एस. (1977), इनवायरनमेंटल एजुकेशन एण्ड रेजिडेंट आउटडोर एजुकेशन एक्सपीरियेंस डिजर्टेशन एब्सट्रेक्ट इंटरनेशनल 4712
- दुबे, एस.पी. (1994) ए स्टडी ऑफ द एटीट्यूड टीचर्स एण्ड पेरंट्स टुवर्डस इनवायरनमेंटल प्राब्लम एण्ड यूजिंग वेल्यू शीट्स टू मॉडीफाइड इट, अप्रकाशित शोध प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

- आर्मस्ट्रांग, जे.बी. और इंसपारा, जे. सी (1991) द इंपैक्ट ऑफ इनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑन नॉलेज एंड एटीट्यूड जर्नल ऑफ इनवायरनमेंटल एजुकेशन
- गोपालकृष्ण, सरोजनी (1992) इंपैक्ट ऑफ इनवायरनमेंटल एजुकेशन ऑन द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, एम.बी. बुच (संपा) थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन में, नई दिल्ली,
- राजपूत, जे.एस. सक्सेना, ए.बी और यादव, वी.जी. (1980) ए रिसर्च स्टडी इन इनवायरनमेंटल एप्रोच ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, नई दिल्ली
- ज्विक टी.टी. (1978) एन इंवेस्टीगेशन इन टू अफेक्टिव विहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द इनवायरनमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम इन स्कूल डिसट्रिक्अ मोनटाना युनिवर्सिटी ऑफ नार्दन कोलेरैडो

पठनीय

पुस्तक का नाम	*'असफल स्कूल'*
लेखक	जॉन होल्ट
मूल्य	₹ 80.00
प्रकाशक	एकलव्य ई–7/453 एच.आई.जी. अरेराकॉलोनी भोपाल–462 016 मध्य प्रदेश
अनुवादक	श्री अरविंद गुप्ता

शारदा कुमारी*

हाल ही के वर्षों में जब दुनिया भर की सरकारें विश्व बैंक के एजेंडे के तहत भूमंडलीकरण और बाज़ारीकरण के उद्दाम आवेग में व्यापक समाज का बाज़ार अनुकूलित शैक्षिक समायोजन कर रही थीं, उसी समय शिक्षा के समाजशास्त्रीय संदर्भों के प्रति संवेदनशील बुद्धिजीवियों की निगाहें भी चौकन्नी हो रही थीं। ऐसा ही एक चौकस प्रयास किया गया 'एकलव्य' द्वारा बच्चों की स्कूली शिक्षा से जुड़ी विचार प्रघान पुस्तकों को अनुदित कर आम व्यक्तियों की परिधि तक पहुँचा कर जिससे शिक्षा के सरोकारों के प्रति विस्तृत और विश्लेषणपरक विमर्श की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इन अनूदित पुस्तकों की शृंखला में एक पुस्तक है 'असफल स्कूल' जो अमेरिका के होम स्कूलिंग 'द अंडर एचीविंग स्कूल' का अँग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद है। अनुवाद श्री अरविंद गुप्ता जी द्वारा किया गया है।

* *वरिष्ठ प्रवक्ता*, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर – 7, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली

यह पुस्तक मौजूदा स्कूली शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों की ओर संकेत करती है। ये संकेत भारतीय विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उतने ही प्रासंगिक और अर्थपूर्ण है जितने कि पश्चिमी समाज की स्कूली प्रणाली के लिए। पुस्तक की प्रस्तावना न्यूयॉर्क शहर की पत्रिका 'एजुकेशन न्यूज' के संपादकों द्वारा पूछे गए प्रश्न ''अमेरिका के स्कूलों को यदि इस साल एक बेहतर कल की ओर एक बड़ा कदम उठाना हो, तो वह क्या होना चाहिए?'' के उत्तर से शुरू होती है। इस प्रश्न के उत्तर में लेखक कहता है, ''वह कदम होगा प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार देना कि वह अपनी शिक्षा को खुद नियोजित करे, खुद निर्देशित करे, और खुद ही उसका मूल्याँकन करें। उसे इस बात की अनुमति देना और इसके लिए प्रोत्साहित करना कि वह विशेषज्ञों और ज़्यादा अनुभवी लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन से खुद तय करे कि उसे क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है, और वह उसे कितनी अच्छी तरह से सीख रहा है।''

यह पुस्तक आश्चर्यजनक रूप से भारत की मौजूदा शैक्षणिक दुनिया को उत्तेजित करती है और शिक्षा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव आने चाहिए, इस पर कलात्मक और समालोचनात्मक ढंग से अपना रुख स्पष्ट करती है। इस अर्थ में यह पुस्तक अपनी चिंता में मानवाधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को भी शामिल करती है। पुस्तक में लेखक के पहले किसी पत्रिका या किताब में छप चुके छोटे-छोटे 14 लेखों का संकलन है। इग्लैंड में जॉन होल्ट द्वारा दिया गया व्याख्यान इस संकलन को और समृद्ध बनाता है। अपने आखिरी पन्नों में यह पुस्तक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से उभरे सवालों से भी टकराती है।

पुस्तक के विषयक्रम की पहली इकाई 'सच्ची सीख' शिक्षा के मायनों पर रोशनी डालती है। हरेक बच्चे में, बिना किसी अपवाद के, अपनी दुनिया को समझने की एक असीमित अंदरूनी ललक होती है और वह इस दुनिया में सक्षम बनना चाहता है, उसमें स्वतंत्रता चाहता है। जो बातें सच में बच्चे की समझ, खुशी, विकास की क्षमता और उसमें अपनी स्वतंत्रता के अहसास और स्वाभिमान को बढ़ाती हैं, उन्हीं को हम सच्ची शिक्षा कह सकते है। लेखक के अनुसार शिक्षा वह चीज़ है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए खुद हासिल करता है। वह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई दूसरा उसे देता या दे सकता है। लेखक के अनुसार शिक्षा वही है जो अपने आस-पास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और अपने-आपको विकसित करने में मदद करे। साथ ही अपने आस-पास की असली समस्याओं से जूझ सकने और इंसानियत का भला कर सकने की क्षमता पैदा कर सके। अपने बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में समाज की स्कूलों से कुछ अपेक्षाएँ है। समाज चाहता है कि स्कूल बच्चों को अपनी परंपराओं और संस्कृति के उचित मूल्यों को सिखाएँ, बच्चे जिस दुनिया में जीते है उससे उन्हें अवगत कराएँ और बच्चों को किसी रोज़गार के लिए तैयार कर सकें। लेखक का मानना है कि स्कूल इनमें से एक भी

काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वे समाज का हिस्सा बनने के स्थान पर उससे अलग-थलग रहकर कार्य कर रहे हैं। पुस्तक हर कदम पर स्वीकार करती है कि शिक्षा और काम के बीच जो विरोध स्कूलों ने पैदा कर दिया है वह अवास्तविक और घातक है। किताब का दूसरा संकलन 'थोड़ी-सी सीख' शैक्षिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए इस बुनियादी गलती की ओर इशारा करता है कि समझ मूलरूप से शाब्दिक और सांकेतिक होती है। लेखक चिंतकों को इस धुँधलके से बाहर निकलने और कक्षाओं को एक बिल्कुल ही अलग तरह की जगह में बदल देने की गुज़ारिश करते हैं।

विषयक्रम का तीसरा संकलन 'स्कूल बच्चों के लिए खराब जगह है' जहाँ एक ओर अपने शीर्षक से चौंकाता है तो दूसरी ओर स्कूलों के मौजूदा स्वरूप से उपजने वाले भयानक खतरों की और भी आगाह करता है। ''...कि स्कूल बच्चों को अपना 'स्विच ऑफ' कर लेने की एक लंबी ट्रेनिंग देता है'' यह एक अकेला वाक्य ही यह बतलाने भर में समर्थ है कि किस तरह से स्कूल का माहौल बच्चों के दिमाग पर अंकुश लगाकर उन्हें समग्र रूप से रचनात्मक जिंदगी जीने नहीं दे रहा। लेखक ने चुप्पी की संस्कृति की खिलाफत करते हुए कहा है कि जो शिक्षक सूनी कक्षाओं के अभ्यस्त हैं वे बच्चों की बुद्धिमानी प्रफुल्लता, मज़ाक की क्षमता का कोई अंदाज़ नहीं लगा पाँएगें वे हमेशा बच्चों को बेवकूफ और पढ़ने के नाकाबिल ही समझेंगे। बच्चों के सीखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया गया है कि ''बच्चों को अपने काम का मूल्याँकन खुद करने दें।''

जो बच्चा बोलना सीख रहा हो, वह बार-बार टोकने से नहीं सीखता। अगर उसे बहुत बार टोका जाए तो वह बोलना बंद कर देगा। बच्चों को अपनी गलतियाँ खुद सुधारने दें। यदि वे चाहें तो अन्य बच्चों की सहायता से खुद शब्दों का सही अर्थ खोजें, समस्याओं के हल खोजें और बातचीत का सही तरीका सीखें।

'चूहा दौड़' शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने कुछ नामी स्कूलों पर भीषण आरोप लगाया है कि "वे काबिल छात्रों का भीषण शोषण करते हैं।" ये स्कूल बच्चों को व्यापार जगत की ही तरह एक उपभोक्ता के रूप में देखते हैं और उन पर विनाशकारी मनोवैज्ञानिक दबाव डालते है। 'चूहा दौड़' संकेत करता है उस प्रतिस्पर्धा की ओर, जहाँ बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेजों में प्रवेश के लिए भटकते हैं। सभी का ध्येय नामी कॉलेजों में दाखिला पाने का होता है पर कम अंकों की वजह से वह अपने मनचाहे कॉलेज और कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाते। इस स्थिति को लेखक ने बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय बताया है। लेखक की नज़र में अच्छे अंक पाने के दबावों का एक विस्तृत और सामान्य परिणाम यह हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया का अर्थ ही बदल गया है। बच्चे सीखने की अपेक्षा 'सही उत्तर' की खोज कर पाने को ही शिक्षा समझ बैठे हैं। वे गलती करने से कतराने लगते है। इससे

उनकी बौद्धिक प्रतिभा ढँक जाती है और सच्ची सीख असंभव हो जाती है।

'शिक्षक बहुत ज़्यादा बोलते है' लेख के माध्यम से उन्होंने कक्षा में बच्चों के बीच पैदा की जा रही चुप्पी की संस्कृति की कड़े शब्दों में निंदा की है। लेखक के अनुभव इस बात के पक्षधर हैं कि अध्यापकों को कक्षाओं में बोलने का बहुत शौक होता है। वे बच्चों को बोलने का अवसर ही नहीं देते। उनका ज़्यादातर बोलना कक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। इस बिंदु पर ज़ोर देते हुए 'सीखने' की अवधारणा स्पष्ट की गई है और स्पष्ट किया है कि सीखना कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है। वे आरोप लगाते हैं कि स्कूली व्यवस्था और बेलगाम बोलने वाले शिक्षक ही बच्चों को निष्क्रिय शिष्यों में बदल देते हैं। शिक्षकों को कक्षा में कम बोलने की सलाह देते हुए और बच्चों की आवाज़ को मुखरित करने की अपेक्षा करते हुए पुस्तक 'परीक्षा पद्धति' के बारे में मानस को झिंझोड़ती है। शीर्षक है 'परीक्षण का आतंक'। शीर्षक कौतूहल जगाने में समर्थ है। दरअसल शीर्षक अपने आप में एक विस्तृत चिंतन और अनुभवों का परिणाम है। ज़रा कल्पना कीजिए यदि इस लेख का शीर्षक होता है 'परीक्षाओं का स्वरूप' या फिर 'स्कूलों में परीक्षाएँ' तब यह लेख पाठकों को निर्देश तो देता पर किसी तरह का संवाद नहीं करता। लेखक ने परीक्षण को शिक्षा का अभिन्न अंग माने जाने की पुरज़ोर खिलाफ़त की है। उनका कहना है, ''...मेरी राय में परीक्षण न तो ज़रूरी है, न ही उपयोगी और उसे माफ़ करना मुश्किल है। परीक्षण से फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है, उससे सीखने की प्रक्रिया विकृत हो जाती है, रूक जाती है।'' परीक्षण की वकालत करने वालों के दावे कि ''परीक्षण की तकनीकों मे लगातार सुधार हो रहा है और वे अंत में एकदम दुरुस्त हो जाएगी'' की भी खिलाफ़त करते हुए समझ बनाने की कोशिश की जाती है कि हमारी प्रमुख चिंता परीक्षण को बेहतर बनाने की नहीं, बल्कि उसको पूरी तरह से हटाने की होनी चाहिए। ''बच्चों को समझ में आए या नहीं, उपयोगी है या नहीं, इसको छोड़ो। बस यह देखो कि परीक्षा में बच्चों के अच्छे नंबर आएँ।'' इन वाक्यों को और बढ़ाते हुए परीक्षा के प्रति अपनी तमाम आपत्तियाँ दर्ज़ की जाती हैं। परीक्षाओं से उन विद्यार्थियों को ही सज़ा मिलती है जो धीरे काम करते है। परीक्षाएँ उनका ही साथ देती है जो अनुमान लगाने मे चतुर होते है।

परीक्षण के आतंक से गुजरते हुए पाठक अनिवार्य उपस्थिति के नियमों पर संवाद करेगें 'सुनहरे नियमों वाले दिन ढले' शीर्षक के ज़रिए। शीर्षक जितना मौजू है उसका कलेवर उससे भी कहीं अधिक। अनिवार्य उपस्थिति के कुल दिवसों के बारे में आम धारणा यह है कि विद्यार्थी अधिक-से-अधिक दिन विद्यालयों में रहेगें तो अधिक-से-अधिक सीखेगें। परंतु लेखक इस प्रचलित धारणा का खंडन करता है। उसके अनुसार जब ये नियम बने ये तो बच्चों के हक में थे। वे दरअसल शिक्षा प्रदान करवाने और आर्थिक शोषण करने वाले वयस्कों

से उन्हें बचाने के लिए बने ये बहुत से किसान, छोटे दुकानदार और कारीगर, जिन्हें खुद औपचारिक शिक्षा का मौका नही मिला था, अपने बच्चों से भी खदानों, कारखानों और खेतो मे काम करवाना पसंद करते थे। अनिवार्य उपस्थिति के कानून इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए बने थे परंतु अब जिस तरह की कक्षायी शिक्षण प्रक्रियाएँ मौजूद हैं विद्यालयों में, वे अपने-आप में बच्चों के शोषण का बहुत बड़ा कारण है। स्कूलों द्वारा करवाए जा रहे कार्यो और दिए जा रहे उकताऊ किस्म के 'होमवर्क' के रहते बच्चे बहुत से रोचक और गंभीर कार्यो को नहीं कर पाते जिन्हें कि वे करना चाहते हैं। यह सही है स्कूल में बच्चों को अपनी ही उम्र के बहुत से और बच्चों से मेल-जोल के मौके मिलते हैं पर वहाँ चल रही कवायदें क्या वाकई उन्हें मेल-जोल करने के मौके देती हैं? यदि नहीं तो स्कूल निश्चित रूप से जेलखाने से अधिक नहीं हैं।

स्कूल की बजाय बच्चे घर, पास पड़ोस और खेल के मैदानों में कहीं अधिक और बेहतर सीख पाते हैं, इस तरह के उदाहरण देते हुए पुस्तक ले चलती है हमें एक नए आयाम की ओर जहाँ से यह संकेत मिलता है कि विद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही शिक्षण पद्धतियाँ किस तरह से बच्चों में पढ़ने के प्रति नफ़रत पैदा करती हैं। 'नॉन स्टाप' और 'निबंध दौड़' जैसे बहुत से रोचक उदाहरण पढ़ते हुए पाठक 'व्यवस्था और अव्यवस्था' के घेरे में अपने-आपको पाते हैं। ''सच्ची सीख कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं होती'' यह कहकर लेखक चौंकाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्कूल में जब तक अनुशासन की व्यवस्था नहीं होगी, क्या तब बच्चे कुछ सीख पाएगें? पर लेखक के विचार तो कुछ और ही हैं। बच्चों का कक्षा में जमकर शोर मचाना अनुशासन हीनता नहीं हो सकता और फिर वे शोर इसलिए मचा रहे है क्योंकि वहाँ इससे अच्छा कुछ और करने के लिए है ही नहीं।

लेखक ने मौजूदा कक्षा व्यवस्था के प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा है कि ये व्यवस्थाएँ बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती हैं। उनका अनुभव है कि जब बच्चों को हिज़्जों संबंधी गलतियों के लिए टोका जाता है तो वे लिखने से कतराने लगते है और जब मानक भाषा या बड़ों जैसी भाषा में बोलने की अपेक्षा की जाती है तब वे बोलने की अपेक्षा चुप रहना पसंद करते हैं। जब बच्चों को लगता है कि बड़ों को उनकी बातें सुनने में गहरी रुचि है और हम उनका कोई मूल्याँकन करने नहीं आए हैं तो ये बच्चे बड़ी कुशलता से धारा-प्रवाह भाषा में बोलते हैं। बच्चों के बोलने के संदर्भ में एक बहुत बड़ी शिक्षणशास्त्रीय चिंता की ओर ध्यान दिलाया गया है कि बच्चों को मानक भाषा बोलने के लिए बाध्य करना भी उन्हें 'चुप' रखने का तरीका है। हमें इस धारण को खारिज करना होगा कि यदि गरीब बस्तियों के बच्चे मानक भाषा नहीं बोल पाते तो वे बुद्धिहीन, कम होशियार या बातचीत में अपंग है। ऐसा मान लेना गंभीर गलती होगी।

हालाँकि पूरी पुस्तक जान होल्ट के अपने अनुभवों का संकलन है और वे अनुभव जो उसने अमेरिका के विद्यालयों के अवलोकन के दौरान अर्जित किए थे पर हर दूसरी-तीसरी पंक्ति को पढ़कर पाठक इसी भ्रम में रहेगें कि यह तो भारत की मौजूदा स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही है। 'असंभव पढ़ाई को पढ़ाना' शीर्षक के इस अंश को पढ़कर आपको क्या ऐसा ही नहीं महसूस होता? हमारे शहरों की गरीब बस्तियों में स्थित स्कूल अपने खराब माहौल के कारण कई तरह से बच्चों का विकास कम, विनाश अधिक करते हैं। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार लगातार शत्रुतापूर्ण रहता है। ...हमारी कोशिशें यह रहती हैं कि किस प्रकार हम गरीब बच्चों को प्रभावशाली ढंग से बोलना सिखाएँ और साक्षर बनाएँ। ...हमारे सबसे अच्छे स्कूलों की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। उनमें से निकले अधिकांश बच्चे, बस्ती के गरीब बच्चों की तरह ही, न तो ठीक से बोल पाते है और न ही अपनी मनपंसद चीज़ों के बारे मे लिख पाते हैं। ...वे कभी भी अपनी सच्ची राय नहीं लिखते और अगर उन्हें बाध्य नहीं किया जाता तो शायद वे कभी लिखते ही नहीं। ...स्कूलों और कक्षा में फिजूल की बातों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। कक्षा में सफ़ाई काम में बारीकी, शिक्षक के घिसे-पिटे विचारों में आस्था को स्वतंत्र, मौलिक, ईमानदार विचारों की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता है। आज भी बहुत से स्कूलों में हिज्जों और व्याकरण की छोटी-मोटी गलतियों के कारण बच्चों को फेल कर दिया जाता है। निबंधों में बच्चों की मौलिकता या अन्य खूबियों का कोई मूल्यांकन नहीं होता। लेखक ने सिर्फ़ समस्या को ही सामने नहीं रखा है अपितु सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे– ''अगर हमें छात्रों की लिखने की कुशलता को बेहतर बनाना है तो हमें सबसे पहले एक बात सीखनी होगी। छात्र भाषा को हमेशा अपने तरीके से उपयोग करेगा, वह प्रभावशाली हो इसकी कोशिश करेगा। वह भाषा का परीक्षण उन लोगो के साथ बात करके करेगा जो न केवल उसकी बात को सुनें बल्कि जो उसके विचारों को गंभीरता से भी लें।''

मौजूदा समस्याओं की सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्तियों का विश्लेषण और अंत: संबंधों को 'भविष्य के लिए शिक्षा' शीर्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने शिक्षा की समस्या पर चर्चा के समय भीड़ वाली कक्षाओं, शिक्षकों की कमी, पुरानी इमारतों, आर्थिक कमी, शैक्षणिक सत्रों और तकनीकों के प्रभावों की कमी, मूल्यांकन के तरीकों आदि को शिक्षा की समस्या माना ही नहीं है। उनके अनुसार पर्यावरण, शांति, काम के अवसरों और मानव होने की गरिमा को खतरा, यह सब शिक्षा से संबंध रखने वाली समस्याएँ हैं, स्वयं लेखक के शब्दों में, ''हमारे सामने यह समस्या नहीं कि स्कूल कैसे काम करें, बल्कि यह कि उनका काम क्या है, कि शिक्षा का हमारे समय की बड़ी समस्याओं और मुद्दों से क्या संबंध है?" भविष्य के लिए शिक्षा को क्या-क्या काम करने होगे, इस सवाल को बहुत ज़ोरदार तरीके से लेखक ने उठाया है। शांति स्थापित करने, जाति-वर्ग

के भेद को दूर करने, काम के अवसरों की सुलभता, पर्यावरण का संरक्षण, मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का अहसास इन सब कामों में स्कूलों को ही आगे आना होगा। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऐसे लोगों को बनाना जो अपने जीवन से खुश हों। मनुष्यता को जीवित रखने के लिए ऐसे लोगों को बनाना सीखना होगा जो अपने जीवन को संपूर्ण रूप मे जीना चाहते हों, उसे सार्थकता और खुशहाली से भरना चाहतें हों। लेखक का मानना है कि आज स्कूलों में हम ऐसे लोगो को विकसित कर रहें हैं जिनका उद्देश्य किसी भी तरीके को अपनाकर जीवन में दूसरों से आगे बढ़ना है। स्कूल ऐसे समुदाय के रूप में उभरने चाहिए, जहाँ पर बच्चे भाषणों से नहीं, बल्कि वास्तविक काम करके और जीवन जीकर अन्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति चेतना और सहानुभूति हासिल करें।

गरीबी, कचरे और पर्यावरण हनन को लेखक ने सिर्फ़ आपस मे नहीं बल्कि अन्य समस्याओं से भी जुड़ा पाया है जिस लालच के कारण पर्यावरण को खतरा है उसी की वजह से गरीबी को समाप्त करना मुश्किल है। शिक्षा के सामने यह चुनौती है कि वे लालच के सूराखों से बचकर कड़े होने और जिंदगी जीने के तरीके बच्चों को सिखाएँ। लेखक ने स्वीकार किया है कि लालच कुछ सीमा तक तो स्वाभाविक भी है लेकिन इसकी कोई तर्कसंगत सीमा होनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश करते हुए लेखक ने लालच की सीमा को चित्राकित किया है, ''मेन नाम के शहर में खेलकूद के सामान की बड़ी दूकान है। उसके मालिक मिस्टर बीन को एक बार किसी ने थोड़ी मेहनत से व्यापार को तिगुना करने का गुर बताया। इस पर मिस्टर बीन ने कहा," "आखिर क्यों? मैं दिन में चार बार तो भोजन नहीं कर सकता।" इस तरह के संतोष की भावना पैदा करना शिक्षा का ही काम है। और यदि स्कूल यह काम करने में सफल हो जाते हैं तो पर्यावरण को खतरे जैसी समस्याओं का हल तो खुद-ब-खुद निकल आएगा। दरअसल लेखक का मानना है कि जब हम पैसा कमाने के लिए एक-दूसरे की होड़ करते है तभी प्राकृतिक संसाधनों को खतरा पहुँचता है। शिक्षा के क्षितिज पर तरह-तरह के सवालों को उभारकर पाठकों के मानस को झिंझोड़ती हुई पुस्तक एक पत्र पर आकर समाप्त होती है जो लेखक ने अपने किसी मित्र डॉ. ब्लिस को लिखा है। पत्र के कुछ अंश प्रस्तुत हैं जो कि पुस्तक के समूचे कलेवर का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हैं, "...मेरी राय में बच्चे तभी सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खुद किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, जब वे खुद ही निर्णय लेते हैं कि वे उसे कब और कैसे सीखेगे, जब वे किसी चीज़ को किसी के कहने से नहीं, बल्कि खुद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सीखता हूँ। ...मै चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी सीख बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए और इसमें उनकी मदद की जाए। ... हम जो कुछ भी कहते हैं उसके द्वारा हम सीखने और जीने को पृथक कर देते हैं, जबकि हमें उन्हें जोढ़ने का प्रयास करना चाहिए'...।''

अंततः एक मूल सवाल उठाकर पुस्तक की समीक्षा पर विराम लगाती हूँ। क्या हम बच्चों को भीरू, आज्ञाकारी, डरपोक, कायर बनाना चाहते है या फिर मुक्त चिंतन एवं मननशील इंसानों जैसा? अगर हमें भीरू लोग चाहिए तो हमारे स्कूलों की वर्तमान हालात उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और अगर हमें चिंतनशील इंसान चाहिए तो कुछ बड़े-बड़े परिवर्तन करने चाहिए।

जिन लोगों की दिलचस्पी समाजशास्त्रीय अनुभवों और सिद्धांतों के समानांतर शिक्षा के सरोकारों में रही है उनके लिए यह पुस्तक एक ज़रूरी संदर्भ है।

बालमन कुछ कहता है

समय पालन

एक बार एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम आर्यन था। वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। बस पूरे दिन खेलता रहता था। उसे यह भी नहीं पता था कि खेलकर घर कब वापस आना है। जब उसके सारे दोस्त खेलकर घर चले जाते थे तब भी वह खेलता रहता था। उसके माता-पिता रोज़ डाँटकर उसे घर बुलाते थे। जब वह घर आता तो वह बहुत थक जाता था। थकने के कारण वह पढ़ नहीं पाता था। वह खाना खाके सो जाता था। न पढ़ पाने की वजह से उसको कक्षा में सबसे कम अंक मिलते थे। उसका एक मित्र था जो कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। उसने अपने मित्र से पूछा "भई तुम हमेशा प्रथम आते हो, इसका क्या कारण है? और तुम हर काम कर लेते हो खेलने से लेकर पढ़ने तक?" मित्र बोला, "इसका ही कारण है और वो है टाईमटेबल बनाओ और उसे अपने जीवन में उतारो।" यह बात उसे अच्छे से समझ में आ गई और उसने यह सारी चीज़ अपने जीवन में उतारी वो भी अपने मित्र के तरह प्रथम आने लगा।

आशीष कुमार सिंह
कक्षा - पाँच
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
गाज़ियाबाद वसुंधरा

बालमन कुछ कहता है

कहानी

Kritika Parashar
Std 5th क्वीन मेरी स्कूल
दिल्ली

चमत्कारी पत्थर

एक नदी में दो मछलियाँ रहती थीं- फ़िनकुमारी और रानी। फ़िनकुमारी बहुत आलसी थी और सारे दिन सोती रहती पर रानी बहुत समझदार थी। एक दिन फ़िनकुमारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला क्योंकि उसके आस-पास का भोजन खत्म हो गया था। रानी ने कहा, "तुम पहाड़ी के पीछे क्यों नहीं जाती।" तब फ़िनकुमारी ने कहा, "इतनी दूर जाकर मैं थक जाऊँगी।" उनकी बातें एक कछुए ने सुनी और बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। तब वह बोली, "तुम पता नहीं कब पहुँचोगे।"

एक दिन वह भूख से रो रही थी। तभी एक मगरमच्छ वहाँ आया। उसको रोते देखकर मगरमच्छ बोला, "तुम रो क्यों रही हो।" फ़िनकुमारी ने उसे अपने रोने का कारण बताया। तभी मगरमच्छ को एक उपाय सूझा। वह बोला कि तुम्हें पता है कि मेरी ताकत का राज़ क्या है - एक चमत्कारी पत्थर। उसने एक पत्थर फ़िनकुमारी को दिया और बताया कि तुझे तीन बार घिसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। यह सुनकर फ़िनकुमारी बहुत खुश हुई और उसने वैसा ही किया। उसने पहाड़ी के उस पार जाकर खाना खाया और मगर के लिये उपहार में फूल लाई और मगरमच्छ को सारी बात बताई। मगरमच्छ बहुत हँसा क्योंकि वह एक साधारण पत्थर था। तब फ़िनकुमारी को पता चला कि आलस छोड़ कर जो मेहनत करता है वह हर मुश्किल पार कर सकता है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(धाराओं का क्रम)

अध्याय 1

प्रारंभिक धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ।

अध्याय 2

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

3. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार।
4. ऐसे बच्चों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध।
5. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार।

अध्याय 3

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्त्तव्य

6. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य।
7. वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बँटाना।
8. समुचित सरकार के कर्तव्य।
9. स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य।
10. माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य।
11. समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना।

अध्याय 4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा।
13. प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।
14. प्रवेश के लिए आयु का सबूत।
15. प्रवेश से इंकार न किया जाना।
16. रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध।
17. बच्चे के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध।

धाराएँ

18. मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना।
19. विद्यालय के मान और मानक।
20. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।
21. विद्यालय प्रबंध समिति।
22. विद्यालय विकास योजना।
23. शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा के निबंधन और शर्तें।
24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना।
25. छात्र-शिक्षक अनुपात।
26. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना।
27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध।
28. शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध।

अध्याय 5

प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना।

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया।
30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र।

अध्याय 6

बच्चों के अधिकारों का संरक्षण

31. बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना।
32. शिकायत को दूर करना।
33. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन।
34. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

35. निदेश जारी करने की शक्ति।
36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी।
37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
38. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)
(26 अगस्त 2009)

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्ति होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएँ **2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''समुचित सरकार'' से, -

(i) केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्य नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2006 का 4 ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध। 1996 का 1 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। क्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केंद्रीय सरकार;

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, -

(अ) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में,

राज्य सरकार;

(ब) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रति व्यक्ति फीस'' से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है;

(ग) ''बालक'' से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है;

(घ) ''अलाभित समूह का बालक'' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह को कोई बालक अभिप्रेत है;

(ङ.) ''दुर्बल वर्ग का बालक'' से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;

(च) ''प्रारंभिक शिक्षा'' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;

(छ) किसी बालक के संबंध में ''संरक्षक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित सरंक्षक भी है;

(ज) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रकाशित 2006 का 4
नियंत्रण रखने वाले किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है;

(झ) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''माता-पिता'' से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) ''विद्यालय'' से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय; और

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायता प्राप्त विद्याल;

(ण) ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है;

(त) किसी विद्यालय के संबंध में ''विनिर्दिष्ट प्रवर्ग'' से, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रुप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए;

(थ) ''राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। 2006 का 4

अध्याय 2
नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

3. (1) छह वर्ष से चौदह की आयु के प्रत्येक बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक, शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे:

परंतु नि:शुल्क व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित नि:शक्तता से ग्रस्त किसी बालक की उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का होगा। 1996 का 1

ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध।

4. जहाँ, छह वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा:

परंतु जहाँ किसी बच्चे को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बच्चों के समान होने के लिए, ऐसे रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा:

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार।

5.(1) जहाँ किसी विद्यालय मे, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसी बच्चे को, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (पपप) और उपखंड (पअ) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ किसी बच्चे से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ऐसे बच्चों को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (पपप) और उपखंड (पअ) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, जहाँ ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा:

परंतु यह और स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

अध्याय 3

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य

समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य।

6. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर

एसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाए। जहाँ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बंटाना

7.(1) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पर इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा।

(2) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को राजस्वों के सहायता अनुदान के रुप में उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी, जैसा वह, समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे

(4) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

(6) केंद्रीय सरकार,-

(क) धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी;

(ग) नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

समुचित सरकार के कर्त्तव्य

8. समुचित सरकार, -

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी:

परंतु जहाँ किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रुप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहाँ ऐसा बालक या, यथास्थिति,

उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- ''अनिवार्य शिक्षा'' पद से समुचित सरकार की,-

(i) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने; और

(ii) छह वर्ष और चौदह वर्ष तक आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की, बाध्यता अभिप्रेत है;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास मे विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी;

(ग) यह सुनिश्चत करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों;

(घ) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद और शिक्षा के उपस्कर भी है, उपलब्ध कराएगी;

(ड.) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी;

(च) प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनीटर करेगी;

(छ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरुप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी; और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।

स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य

9. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,-

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा:

परंतु जहाँ किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहाँ ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय कि प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों;

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख रखेगा;

(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनीटर करेगा;

(च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद और शिक्षा सामग्री भी है, उपलब्ध कराएगा।

(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा;

(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों को समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा;

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा;

(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनीटर करेगा; और

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा।

माता-पिता और संरक्षक का कर्त्तव्य

10. प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपात्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना।

11. प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा का व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

अध्याय 4
विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा

12.(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा;

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से

है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा:

(ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा:

परंतु यह और जहाँ धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहाँ खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तव रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी:

परंतु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहाँ ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं, या तो निःशुल्क या रियायती दर पर, प्राप्त करने के पहले से ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहाँ ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।

13.(1) कोई विद्यालय या व्यक्ति, किस बच्चे को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बच्चे या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में,-

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित

प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होग;

(ख) किसी बच्चे की अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपया तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

1986 का 6

प्रवेश के लिए आयु का सबूत

14.(1) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी।

(2) किसी बच्चे को, आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नही किया जाएगा।

प्रवेश से इंकार न किया जाना

15. किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा:

परंतु किसी बालक की प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित है:

परंतु यह और विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।

रोकने और निष्कासन का प्रतिबंध

16. किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बच्चों को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध

17.(1) किसी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा।

मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना।

18.(1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारुप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारुप में, ऐसे अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(3) मान्यता की शर्तो के उल्लंघन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगा:

परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनावाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) ऐसा विद्यालय, उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

विद्यालय के मान और मानक

19.(1) किसी विद्यालय को, धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(2) जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहाँ वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

(3) जहाँ कोई विद्यालया, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहाँ धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय को अनुदत्तर मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

(4) कोई विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता हैं, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

20. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचना का, उस में किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी।

विद्यालय प्रबंध समिति

21.(1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा:

परंतु ऐसे समिति के कम-से-कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे:

परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) विद्यालय के कार्यकारण को मानीटर करना;

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करन;

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ।

विद्यालय विकास योजना

22.(1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें

23.(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहाँ केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रुप में नियुक्त के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पाँच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी,

जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएँ।

शिक्षकों के कर्त्तव्य और शिकायतों को दूर करना।

24.(1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) विद्यालय में उपस्थिति होने में नियमितता और समय पालन;

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना;

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामार्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना;

(ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामार्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना; और

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी:

परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हों, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए।

छात्र-शिक्षक अनुपात

25.(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के

लिए किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

छात्र-शिक्षक अनुपात

26. नियुक्ति प्राधिकारी; समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारों द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत: वित्तपोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

छात्र-शिक्षक अनुपात

27. किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद् के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध

28. कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्रावइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी।

अध्याय 5
प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया

29.(1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता;

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास;

(ग) बालक के ज्ञान, अंत:शक्ति, योग्यता का निर्माण करना;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास;

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेंद्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण;

(च) शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक साध्य ही बालक की मातृभाषा में होगा;

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंतामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रुप से

मत व्यक्त करने में सहायता करना;

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन।

परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र।

30.(1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएँ एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

अध्याय 6
बालकों के अधिकार का संरक्षण

बालक के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना।

31.(1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षांपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना;

(ख) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना; और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 अधीन यथाउपबंधित आवश्यक उपाय करना।

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियाँ होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमश: धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई है।

(3) जहाँ किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है। वहाँ समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएँ, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

शिकायतों को दूर करना।

32.(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 और उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन।

33.(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रुप में कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देना, होंगे।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएँ।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन।

34.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रुप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाहकार देना होंगे।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएँ।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

निदेश जारी करने की शक्ति।

35.(1) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्रधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो

वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी

36. धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

37. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किस बात के संबंध में कोई भी वाद, या अन्य विधिक कार्रवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

38.(1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 4 के पहले परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय-सीमा;

(ख) धारा 6 के अधीन किसी आसपास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएँ;

(ग) धारा 9 के खंड (घ) के अधीन चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखे जाने की रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति और सीमा;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज;

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश

लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की रीति;

(छ) वह प्राधिकारी, प्रारुप और रीति, जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा;

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र का प्ररुप, अवधि, उसे जारी करने की रीति और शर्तें;

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन सुनवाई का अवसर करने की रीति;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षक का संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ड) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने की रीति;

(ण) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र देने का प्ररुप और रीति;

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और उसके निबंधन और शर्तें;

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें;

(द) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों को भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें।

3. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही

प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किंतु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या अधिसूचना बनाए/बनायी जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी।

अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्र.सं.	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या :		
	(क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पास बालकों से अधिक	पांच धन एक प्रधान अध्यापक
		दो सौ बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।

	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो– (i) विज्ञान और गणित; (ii) सामाजिक अध्ययन; (iii) भाषा। (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक; (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक... (अ) कला शिक्षा; (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा; (इ) कार्य शिक्षा। (iii) भाषा।
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुक्त पहुंच; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा; (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई; (vi) खेल का मैदान; (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस; (iii) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे।

4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजूकेशन ऐक्ट, 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*l*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India